

**Loan Agreement/ऋण समझौता**

This Loan Agreement ("**Agreement**") is executed between Fincfriends Private Limited, a Company incorporated under the provisions of Companies Act, 2013, having its registered office at 7<sup>th</sup> Floor, Vatika Triangle, Mehrauli Gurgaon Road, B Block, Sushant Lok Phase I, Gurgaon, Haryana-122002 (hereinafter referred to as "**Lender**" which expression shall, unless repugnant to the context, include its successors and assigns) and "**Borrower**", the particulars whereof are described and set out in **Schedule I**.

The Borrower has applied for a loan facility, and the Lender has sanctioned the same in the form of Loan which will be governed by given terms and conditions read together with the Sanction Letter. The Borrower agrees and undertakes that loan taken by the Borrower within such approved Loan will be subject to the clauses of the Agreement, as amended from time to time, and the grant of such loan within the limits of the Loan will be subject to the Borrower's fulfilment of the Lender's then subsisting credit policy.

The Lender and Borrower are hereinafter collectively referred to as "**Parties**" and individually as "**Party**".

**WHEREAS:**

- The Lender is a non-banking financial company, inter alia, engaged in the business of providing personal loans/credit facilities to various customers.
- The Borrower has requested the Lender to grant a loan to the Borrower and the Lender, relying upon the representations made and information provided by the Borrower, has agreed to grant the loan to the Borrower, on the terms and conditions contained in this Agreement and in other Loan Documents, up to the maximum principal amount and maximum tenure as mentioned in Schedule I, in its sole and absolute discretion.

**NOW, THEREFORE**, in consideration of the foregoing and other good and valid consideration, the receipt and adequacy of which is expressly acknowledged, the Parties hereby agree as follows:

यह ऋण समझौता कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 7वीं मंजिल, वाटिका ट्रायंगल, महरौली गुडगांव रोड, बी ब्लॉक, सुशांत लोक फेज-1, गुडगांव, हरियाणा-122002 में है (इसके बाद इसे "ऋणदाता" के रूप में उल्लिखित किया जाएगा और उसमें उनके उत्तराधिकारी और नामित भी सम्मिलित होंगे) जब तक कि यह संदर्भ के प्रतिकूल नहीं हो और "ऋणकर्ता" के मध्य निष्पादित किया गया है, जिसका विवरण अनुसूचि 1 में वर्णित और निर्धारित किया गया है।

ऋणकर्ता ने ऋण सुविधा के लिए आवेदन किया है और ऋणदाता ने ऋण के रूप में इसे स्वीकृति दी है जो स्वीकृतिपत्र में वर्णित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी। ऋणकर्ता इस बात से सहमत है और वचन देता है कि ऐसी अनुमोदित ऋण के तहत लिया गया हर ऋण इस समझौते की शर्तों के अधीन होगा, जिसे समय-समय पर बदला जा सकता है और ऋण की सीमा के अन्तर्गत स्वीकृत हर ऋण ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता की तत्कालीन क्रेडिट पॉलिसी की पूर्ति के अधीन होगा।

इसके बाद ऋणदाता और ऋणकर्ता को "पार्टीज़" और व्यक्तिगत रूप से उन्हें "पार्टी" कहा जाएगा।

**जबकि:**

- उधार देने वाली कम्पनी एक गैर वित्तीय बैंकिंग कम्पनी है जो विभिन्न ग्राहकों को व्यक्तिगत ऋण /क्रेडिट सुविधा देती है।
- ऋणकर्ता ने ऋणदाता से ऋण के लिए निवेदन किया है। ऋणदाता ने ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन एवं

दी गई जानकारी तथा समझौते में प्रस्तुत नियमों व शर्तों के साथ ऋण सम्बन्धी अन्य दस्तावेजों के आधार पर अनुसूचि 1 में उल्लिखित अधिकतम मूल राशि को अधिकतम अवधि के लिए दिए गए उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत और पूर्ण विवेक के आधार पर देना स्वीकार किया है।

अब, इसलिए पूर्ववर्ती तथा अन्य सुचारु एवं वैध विवेचना करते हुए दोनों पार्टियां निम्न रूप में सहमत हैं जिसकी लब्धि और उपयुक्तता को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है,:

## 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS/ परिभाषा और व्याख्या

### 1.1 Definitions/ परिभाषा

For the purposes of this Agreement, in addition to the terms defined in the description of the Parties: (a) all capitalized words and expressions defined by inclusion in quotation and/or parenthesis anywhere in this Agreement, have the same meanings as ascribed to such words and expressions; (b) words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning as assigned to them in General Clauses Act, 1897; and (c) following words and expressions shall have the meaning as set-out in this Clause 1:

1. **“Agreement”** means and includes this Agreement, together with all the schedules, exhibits, addendums, attachments, and appendices annexed hereto and all amendments/supplements hereto and restatements hereto.
2. **“Applicable Law”** means the ‘Indian Law’ as per the General Clauses Act, 1897.
3. **“APR”** means the Annual Percentage Rate as mentioned in KFS, which is an annualized rate charged by the Lender from the Borrower and includes, processing fee, optional term fee, Interest Rate, etc., and exclude contingent charges like Penal Charges, etc.
4. **“Bank Account”** means the bank account where the Loan disbursement is requested by the Borrower.
5. **“Cooling off/ look-up period”** means the period commencing from the date of execution of the Loan Agreement by the Borrower and continuing for a duration of three (3) consecutive calendar days thereafter.
6. **“Digital Lending Application/DLA”** means the digital platform operated by ‘Vivamoney Solutions Private Limited’ through which the Borrower may apply for the Loan, receive disbursement, make repayments, and access complete loan management services.
7. **“Due Date”** means the date on which Monthly Instalment(s)/Outstanding Due(s) become due for repayment by the Borrower.
8. **“Early Repayment/Foreclosure Charges”** means the additional, contingent charges payable by the Borrower to the Lender for foreclosure of Loan Amount or repayment of the Outstanding Dues before the completion of the Tenure.
9. **“Equated Monthly Instalments (EMI)”** are the specified number of monthly instalments through which the Borrower undertakes to repay the principal amount together with the Interest Rate throughout the Tenure (and such monthly fees/charges as stated in the Loan Documents (altogether referred as the ‘Monthly Instalment’) no later than the Due Date.
10. **“Grace Repayment Fee”** refers to the fee applicable on the Loan Amount when a Borrower opts to exit the loan during the Grace Period.

11. **“Grace Period”** is the time period during which the Borrower can exit the Loan by repaying the principal amount, the applicable Grace Repayment Fee and the Processing Fee.
12. **“Interest Rate/Annual Rate of Interest”** means the rate of interest in relation to the Loan as mentioned in Schedule I, Sanction Letter and KFS.
13. **“KFS”** means Key Fact Statement. It is issued by the Lender to the Borrower and shall inter-alia contain the details of APR, details of contingent charges and other disclosures like Cooling off/Look up period, Grace Period, details of Service Provider acting as recovery agent and authorized to approach the Borrower, details of Nodal Grievance Redressal Officer designated specifically to deal with FinTech/ digital lending related complaints/ issues etc.
14. **“Loan/Sanctioned Loan amount”** means the loan sanctioned and made available to the Borrower, which the Borrower may avail in a single drawdown, subject to the terms and conditions set forth in this Agreement.
15. **“Loan Account”** means the account opened and maintained by the Lender in the name of the Borrower for the purpose of recording all transactions, including disbursements, interest, fees, charges, repayments and Outstanding Dues in respect of the Loan granted under this Agreement.
16. **“Loan Amount”** means the loan amount drawn down by the Borrower from the Lender within the limits of the Loan as specified in the Schedule I of this Agreement. Provided that, the Borrower's eligibility to make drawdown will be subject to the Borrower satisfying the Company's credit policy as in force at the time of drawdown.
17. **“Loan Application”** means the Loan application, in the form and manner provided and acceptable to the Lender together with such documents including Aadhar Card, PAN card, bank statement and information as may be required by the Lender, filled in and submitted by the Borrower to the Lender in relation to the Loan.
18. **“Loan Documents”** means collectively:
  - a. Loan Application
  - b. Key Fact Statement (KFS)
  - c. Sanction Letter
  - d. this Agreement, and
  - e. any other document executed from time to time pursuant to any of the foregoing to which the Borrower or the Lender is a party.
19. **“Optional Term Fee/Term Fee (Optional)”** is the contingent fee charged to the Borrower based on the repayment term availed by the Borrower, to be payable with the first EMI under the selected Tenure.
20. **“Outstanding Dues”** means, at any point of time, all the amounts outstanding and payable or obligations to be performed by the Borrower to the Lender, pursuant to the terms of this Agreement and/or any other Loan Documents, including the specific components set out in Clause 5.1.5.
21. **“Penal Charge”** refers to the additional, contingent charge which is payable by the Borrower to the Lender as a penalty in case of default in repayment of the Monthly Instalments and/or Outstanding Dues by the Borrower, being charged on a cumulative basis.

22. **“Processing Fee”** refers to one-time non-refundable fee charged to the Borrower at the time of disbursement, as per Schedule I, Sanction Letter and KFS, and is payable by the Borrower at the time of repayment.
23. **“RBI”** means the Reserve Bank of India.
24. **“Requested Loan Amount”** means the amount of funds requested by the Borrower from the Lender, as specified in the Loan Application submitted by the Borrower, and which is subject to approval and disbursement by the Lender in accordance with the terms of this Agreement.
25. **“Sanction Letter”** means the letter, as provided in Schedule I, issued by the Lender sanctioning the Loan along with the relevant particulars, terms and conditions mentioned in the same.
26. **“SMS Charge”** means the monthly contingent fee payable by the Borrower for subscribing to the SMS notification service.
27. **“Tenure of Loan Amount/Tenure/Loan Term”** shall mean the tenure of the Loan as specified in Key Fact Statement (KFS) which may be 5 (five), 10 (ten), or 20 (twenty) months, as opted by the Borrower at the time of disbursement.
28. **“Website”** means the website of the Lender, presently being [www.fincfriends.com](http://www.fincfriends.com).

इस समझौते के मद्देनजर पार्टियों के विवरण में परिभाषित शर्तों के अलावा: (a) बड़े अक्षरों में छपे सभी शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का, जिन्हें इस समझौते में कहीं अन्य किसी उद्धरण और /अथवा कोष्ठक में सम्मिलित किया गया है, भी वही अर्थ है जो कि उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का है। (b) यहां प्रयुक्त अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो जनरल क्लॉजेज़ ऐक्ट, 1897 में है। (c) और निम्न शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो इस खंड 1 में निर्धारित है:

1. **“समझौते”** यहां पर समझौते का तात्पर्य इस समझौते से एवं इसमें समाहित सभी अनुसूचियों, दस्तावेजों, परिशिष्टों, संलग्नकों, उन अन्य शेष संग्रहों से है जिनको इस दस्तावेज के साथ पूरक अंश की तरह जोड़ा गया है तथा साथ ही सभी संशोधनों/ सम्पूरक अंगों तथा पुनर्कथनों से भी है।
2. **“एप्लीकेबल लॉ”** का अर्थ है जनरल क्लॉजेज़ ऐक्ट, 1897 के अनुसार ‘भारतीय कानून’।
3. **“एपीआर”** का अर्थ वार्षिक प्रतिशत दर है जो मुख्य तथ्य विवरण (KFS) में उल्लिखित है। यह वह वार्षिक दर है जो ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता से वसूल की जाती है, जिसमें प्रोसेसिंग शुल्क, वैकल्पिक अवधि शुल्क, ब्याज दर, आदि शामिल हैं, तथा दंडात्मक शुल्क जैसे आकस्मिक शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं हैं।
4. **“बैंक अकाउंट”** का अर्थ है वह बैंक खाता जिसे ऋणकर्ता ने ऋणप्राप्ति के लिए अनुमोदित किया है।
5. **“क्लिंग ऑफ/लुक-अप पीरियड”** का अर्थ वह अवधि है जो ऋणकर्ता द्वारा ऋण समझौते के निष्पादन की तिथि से प्रारंभ होती है और इसके बाद लगातार तीन (3) कैलेंडर दिनों की अवधि तक जारी रहती है।
6. **“डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन/डीएलए”** का अर्थ वह डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे ‘विवामनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा संचालित किया जाता है, जिसके माध्यम से ऋणकर्ता ऋण के लिए आवेदन कर सकता है, ऋण राशि प्राप्त कर सकता है, पुनर्भुगतान कर सकता है तथा संपूर्ण

- ऋण प्रबंधन सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
7. **“ड्यू डेट”** का अर्थ है वह तिथि है जिस दिन मासिक किश्त और/बकाया धनराशि ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान के लिए देय होती हैं।
  8. **“समयपूर्व पुनर्भुगतान/फोर क्लोजर शुल्क”** वह अतिरिक्त आकस्मिक राशि है जो ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को बकाया धनराशि के पुनर्भुगतान के लिए दी जाती है।
  9. **“समान मासिक किस्तें”** का अर्थ वह निर्धारित संख्या में मासिक किस्तें हैं, जिनके माध्यम से ऋणकर्ता संपूर्ण ऋण अवधि के दौरान मूलधन राशि के साथ ब्याज दर तथा ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित मासिक शुल्क/प्रभार (सामूहिक रूप से **“मासिक किस्त”** कहा गया है) का पुनर्भुगतान करने का उपक्रम करता है, जो देय तिथि तक या उससे पहले किया जाना आवश्यक है।
  10. **“ग्रेस रिपेमेंट शुल्क”** से अभिप्राय उस शुल्क से है जो वितरित राशि पर लागू होता है, जब कोई ऋणकर्ता ग्रेस अवधि के दौरान ऋण से बाहर निकलने का विकल्प चुनता है।
  11. **“ग्रेस पीरियड”** वह समय अवधि है जिसके दौरान ऋणकर्ता मूल राशि, लागू ग्रेस रिपेमेंट शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क चुका कर ऋणमुक्त हो सकता।
  12. **“ब्याज दर”** का अर्थ ऋण से सम्बद्ध ब्याज दर है जैसा कि शेड्यूल 1, स्वीकृति पत्र तथा केएफएस में उल्लिखित है।
  13. **“केएफएस”** का अर्थ की फैक्ट स्टेटमेंट है। इसे ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता के लिए जारी किया जाएगा और साथ ही साथ एपीआर का विवरण, प्रासंगिक शुल्क का विवरण तथा अन्य विवरण जैसे क्लिंग-ऑफ पीरियड /अप-लुक, ग्रेस पीरियड, वसूली एजेंट और ऋणकर्ता से सम्पर्क करने वाले के रूप में सर्विस प्रोवाइडर का विवरण, फिनटेक/डिजिटल ऋण सम्बन्धी शिकायतों/ मुद्दों के निस्तारण के लिए नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण आदि शामिल होंगे।
  14. **“ऋण/स्वीकृत ऋण राशि”** का अर्थ वह ऋण है जो ऋणकर्ता को स्वीकृत की गई है और उसके लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसे ऋणकर्ता इस समझौते में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन एक ही बार में आहरित कर सकता है।
  15. **“ऋण खाता”** का अर्थ वह खाता है जिसे ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता के नाम पर खोला और बनाए रखा जाता है, ताकि इस समझौते के तहत प्रदान किए गए ऋण से संबंधित सभी लेन-देन जैसे कि ऋण राशि का भुगतान, ब्याज, शुल्क, प्रभार, पुनर्भुगतान और बकाया राशि का रिकॉर्ड रखा जा सके।
  16. **“ऋणराशि”** का तात्पर्य उस ऋण राशि से है जिसे ऋणकर्ता इस समझौते में सूचीबद्ध ऋण की सीमा के अन्तर्गत ऋणदाता से ऋण लेता है। बशर्ते कि आहरण के लिए ऋणकर्ता की पात्रता इस आधार पर निर्धारित होगी कि वह हर आहरण के समय कम्पनी की क्रेडिट पालिसी को पूरा करें।
  17. **“ऋण आवेदन का अर्थ** वह ऋण आवेदन है जिसे ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को इस प्रकार और उस रूप में भरा और प्रस्तुत किया जाता है जो ऋणदाता के लिए स्वीकार्य हो, साथ ही उसमें

आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट और अन्य जानकारी शामिल हो सकती है, जो ऋणदाता द्वारा ऋण के संबंध में मांगी जा सकती है।

18. “**ऋण दस्तावेज**” का सामूहिक अर्थ है:
  - a. ऋण आवेदन
  - b. केएफएस
  - c. स्वीकृति पत्र
  - d. यह समझौता, तथा
  - e. अन्य कोई दस्तावेज़ जो कि समय समय पर निष्पादित किया गया हो एवं उसका आधार कोई भी पूर्ववर्ती दस्तावेज़ हो जिसके प्रतिभागी ऋणकर्ता या ऋणदाता हो,
19. “**वैकल्पिक टर्म शुल्क/ टर्म शुल्क (वैकल्पिक)**” अतिरिक्त प्रासंगिक शुल्क है जिसे ऋणकर्ता को मिले पुनर्भुगतान अवधि के आधार पर उससे वसूला जाता है, जो प्रथम ईएमआई के साथ ही देय होता है।
20. “**बकाया धनराशि**” का अर्थ है किसी भी समय इस समझौते और /या अन्य किसी भी ऋण दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को दी जाने वाली सभी बकाया और देय धनराशि या पूरी करने योग्य दायित्व, जिसमें धारा 5.1.5 में निर्दिष्ट विशेष घटक भी शामिल हैं।
21. “**दंडात्मक शुल्क**” वह अतिरिक्त आकस्मिक शुल्क है जो ऋणकर्ता द्वारा जुर्माने के रूप में ऋणदाता को देय होता है। ऐसी स्थिति तब आती है जब ऋणकर्ता द्वारा चुकाए जाने वाले मासिक किश्तों और/बकाया राशि के भुगतान में चूक होती है और इस राशि की गणना संचयी रूप में की जाती है।
22. “**प्रोसेसिंग शुल्क**” का अर्थ है वह एक बार लिया जाने वाला गैर-वापसी योग्य शुल्क जो ऋणदाता द्वारा ऋणकर्ता से ऋण राशि के वितरण के समय वसूला जाता है, जैसा कि अनुसूची I, स्वीकृति पत्र और केएफएस में उल्लिखित है, और यह ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान के समय देय होता है।
23. “**आरबीआई**” का अर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया।
24. “**अनुरोधित ऋण राशि**” का अर्थ है वह धनराशि जो ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता से मांगी गई है, जैसा कि ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदन में निर्दिष्ट है, और जिसे ऋणदाता द्वारा इस समझौते की शर्तों के अनुसार स्वीकृति और वितरण के अधीन रखा जाता है।
25. “**स्वीकृति पत्र**” जैसा कि शेड्यूल 1 में कहा गया है इसका अर्थ है वह पत्र जिसे ऋण की स्वीकृति करते हुए ऋणदाता जारी करता है जिसमें प्रासंगिक विवरण, नियम एवं शर्तों का उल्लेख रहता है।
26. “**एसएमएस चार्ज**” का अर्थ है मासिक प्रासंगिक शुल्क जिसे ऋणकर्ता द्वारा एसएमएस अधिसूचना सेवा प्राप्त करने के लिए देय होता है।

27. “ऋण की अवधि” का अर्थ है वह ऋण अवधि जो मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) में निर्दिष्ट है, जो ऋणकर्ता द्वारा ऋण वितरण के समय चुनी गई हो सकती है और यह 5 (पाँच), 10 (दस), या 20 (बीस) महीने हो सकती है।

28. “वेबसाइट” का अर्थ है ऋणदाता की वेबसाइट, जो कि इस समय [www.fincfriends.com](http://www.fincfriends.com) है।

## 1.2 Interpretation/ विवेचना

1. Unless the context otherwise requires, words denoting the singular shall include the plural and vice versa;
2. the table of contents, headings and the use of bold typeface, are inserted for ease of reference and shall be ignored in the construction and interpretation of the Agreement; a reference to a Clause or Schedule is, unless indicated to the contrary, a reference to a Clause or Schedule to this Agreement;
3. references to this Agreement shall be construed as references also to any separate or independent stipulation or agreement contained in it;
4. references to the word ‘includes’ or ‘including’ shall be construed without limitation; and
5. words importing a particular gender include all genders.

यदि संदर्भ की मांग न हो तो एकवचन बोधक शब्द बहुवचन के भी बोधक होंगे तथा इसका उल्टा भी।

1. विषय-वस्तु की तालिका, शीर्षक, बोल्ट अक्षरों में लिखे गए शब्दों का प्रयोग निर्देश को सुगम बनाने के लिए किया गया है और समझौते को तैयार करते और उसकी विवेचना करते समय इनकी उपेक्षा की जानी चाहिए।
2. यदि विशेष रूप से निषेध नहीं किया गया है तो क्लॉज़ या शेड्यूल का सम्बन्ध समझौते के क्लॉज़ या शेड्यूल से है।
3. इस समझौते के निर्देश को भिन्न या स्वतंत्र शर्तों या उसमें निहित समझौते पर भी लागू समझा जाएगा।;
4. एक विशेष लिंग का बोध कराने वाले शब्दों को सभी लिंगों के लिए प्रयुक्त समझा जाएगा।

## 2. SANCTION & LOAN DISBURSAL/ अनुमोदन एवं ऋण वितरण

- 2.1 Relying upon the statements and representations made by the Borrower in the Loan Application, the Lender has sanctioned the Loan facility and does hereby agree to disburse Loan to the Borrower up to the maximum amount as set out in Schedule I.
- 2.2 The disbursement of the Loan Amount shall be made directly in the bank account of the Borrower, details of which have been provided by the Borrower to the Lender at the time of Loan Application.
- 2.3 Unless the Loan Agreement along with Sanction Letter is unconditionally accepted by the Borrower, the Lender does not undertake any obligation to allow the Borrower to avail the Loan even if sanctioned.
- 2.4 The Borrower hereby irrevocably understands, agrees and confirms that the Requested Loan Amount made by the Borrower shall be assessed by the Lender at its sole discretion. The Loan shall

be determined by the Lender based on the aforementioned assessment, which shall be based on the Lender's internal policies and eligibility criteria applicable to the Borrower.

- 2.5 The disbursement of the Loan Amount shall be made through a single disbursement of an amount within the Sanctioned Loan Limit, as requested by the Borrower.
- 2.1 ऋणकर्ता द्वारा ऋण आवेदन में प्रस्तुत किए गए विवरण और अभ्यावेदन के आधार पर ऋणदाता ने ऋण फेसीलिटी स्वीकृत की है और अब वह शेड्यूल 1 में उल्लिखित अधिकतम ऋण सीमा तक ऋणकर्ता के पक्ष में ऋण वितरण के लिए स्वीकृति देता है।;
- 2.2 ऋण आवेदन करते समय आवेदनकर्ता ने अपने जिस बैंक खाते का विवरण ऋणदाता को दिया है, ऋण का संवितरण सीधे उसी खाते में होगा।
- 2.3 जब तक कि ऋणकर्ता मंजूरी पत्र को बिन किसी शर्त के स्वीकार नहीं कर लेता तब तक ऋणदाता इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता कि मंजूरी के बाद भी ऋणकर्ता ऋण का उपयोग करे।
- 2.4 ऋणकर्ता यह अपरिवर्तनीय रूप से समझता, सहमति देता और पुष्टि करता है कि ऋणकर्ता द्वारा अनुरोधित ऋण राशि का मूल्यांकन ऋणदाता द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार पर किया जाएगा। ऋण की राशि का निर्धारण ऋणदाता द्वारा उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा, जो ऋणदाता की आंतरिक नीतियों और ऋणकर्ता पर लागू पात्रता मानदंडों के अनुसार होगा।
- 2.5 ऋण राशि का वितरण एकमुश्त वितरण के रूप में किया जाएगा, जो स्वीकृत ऋण सीमा के भीतर होगा और जैसा कि ऋणकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है।

### 3. COOLING OFF OR LOOK-UP PERIOD/ कूलिंग ऑफ या लुक-अप पीरियड

Following the execution of this Loan Agreement, the Borrower shall have the right to close the Loan Account at any time during the Cooling-off Period by repaying the principal Loan Amount in full, without incurring any penalty or Grace Repayment Fee.

However, a one-time Processing Fee shall be payable by the Borrower in the event of such exit during the Cooling-off Period.

इस ऋण समझौते के निष्पादन के पश्चात, ऋणकर्ता को यह अधिकार होगा कि वह कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान किसी भी समय मूल ऋण राशि का पूर्ण पुनर्भुगतान करके ऋण खाता बंद कर सकता है, बिना किसी दंडात्मक या ग्रेस पुनर्भुगतान शुल्क के।

हालाँकि, यदि ऋणकर्ता कूलिंग-ऑफ अवधि के दौरान इस प्रकार ऋण से बाहर निकलता है, तो उसे एक बार लिया जाने वाला प्रोसेसिंग शुल्क अदा करना होगा।

### 4. GRACE PERIOD/ ग्रेस पीरियड

- 4.1 The Borrower may exit the Loan within the Grace Period by paying the Processing Fee, principal Loan Amount, and Grace Repayment Fee.
- 4.2 The duration of Grace Period will be up to 51 (fifty-one) days from the date of disbursement of Loan Amount by the Lender.

- 4.3 However, if the Borrower opts not to exit the Loan in this Grace Period or fails to exit the Loan, then the Borrower shall be responsible and liable to comply with all the terms and conditions of this Agreement as a Borrower.
- 4.4 Exercising an exit from the Loan during the Grace Period shall not constitute a termination of the Loan Account.
- 4.1 ऋणकर्ता ग्रेस पीरिऑड के भीतर ऋण से बाहर निकल सकता है, बशर्ते वह मूलधन राशि, प्रोसेसिंग शुल्क तथा ग्रेस रिपेमेंट शुल्क का भुगतान करे।
- 4.2 ग्रेस अवधि की अवधि ऋणदाता द्वारा ऋण राशि के वितरण की तिथि से अधिकतम 51 (इक्यावन) दिनों तक होगी।
- 4.3 यदि ऋणकर्ता इस ग्रेस अवधि के भीतर ऋण से बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनता है या ऐसा करने की इच्छा रखते हुए भी ऐसा करने में विफल रहता है, तो ऐसी स्थिति में ऋणकर्ता इस अनुबंध की सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करने के लिए उत्तरदायी एवं बाध्य होगा।
- 4.4 ग्रेस अवधि के दौरान ऋण से बाहर निकलने की स्थिति को ऋण खाता की समाप्ति नहीं माना जाएगा।

## 5. CHARGES, FEES AND PAYMENT METHOD/शुल्क, फीस और भुगतान की विधि

### 5.1 CHARGES AND FEES / शुल्क और फीस

#### 5.1.1 EARLY REPAYMENT/FORECLOSURE CHARGES / पूर्व पुनर्भुगतान / ऋण पूर्वसमापन शुल्क :

The Borrower may, subject to the terms of this Agreement, initiate a request for Early Repayment/Foreclosure, either partially or in full, prior to the completion of the Tenure, on the following conditions:

- Partial Foreclosure:** The Borrower may, after the expiry of the Grace Period, prepay a part of the Loan Amount. Such prepayment shall be adjusted against the future Equated Monthly Instalments (EMIs) as per the revised repayment schedule determined by the Lender.
- Full Foreclosure:** The Borrower may foreclose the Loan Account in full only after payment of at least 3 (three) consecutive EMIs on their respective Due Dates, by repaying the entire Outstanding Dues prior to the completion of the Tenure.
- In the event of any Early Repayment or Foreclosure, the Borrower shall be liable to pay applicable Early Repayment/Foreclosure Charges, as specified in the KFS.

ऋणकर्ता इस समझौते की शर्तों के अधीन रहते हुए, ऋण अवधि पूरी होने से पहले आंशिक या पूर्ण रूप से पूर्व पुनर्भुगतान/ऋण पूर्वसमापन का अनुरोध निम्नलिखित शर्तों पर कर सकता है:

- आंशिक पूर्वसमापन:** ग्रेस अवधि समाप्त होने के बाद, ऋणकर्ता ऋण राशि का कुछ भाग अग्रिम रूप से चुका सकता है। ऐसा पूर्वभुगतान ऋणदाता द्वारा निर्धारित

संशोधित पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार आगामी समान मासिक किस्तों के समायोजन हेतु प्रयुक्त किया जाएगा।

- b. **पूर्ण पूर्वसमापन:** ऋणकर्ता कम से कम 3 (तीन) लगातार ईएमआई अपनी संबंधित देय तिथियों पर भुगतान करने के बाद ही, ऋण अवधि पूरी होने से पहले संपूर्ण बकाया देय राशि का भुगतान करके ऋण खाता को पूर्ण रूप से बंद कर सकता है।
- c. पूर्व पुनर्भुगतान या पूर्वसमापन की स्थिति में ऋणकर्ता को केएफएस में निर्दिष्ट लागू पूर्व पुनर्भुगतान/पूर्वसमापन शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा।

#### 5.1.2 GRACE REPAYMENT FEE/ ग्रेस पुनर्भुगतान शुल्क:

- a. Grace Repayment Fee refers to the fee as described in Clause 1. The details of the applicable Grace Repayment Fee are detailed in Schedule I, Sanction Letter, and KFS.
- a. ग्रेस पुनर्भुगतान शुल्क वह शुल्क है जैसा कि धारा 1 में वर्णित है। लागू ग्रेस पुनर्भुगतान शुल्क का विवरण अनुसूची-I, स्वीकृति पत्र तथा मुख्य तथ्य विवरण में दिया गया है।

#### 5.1.3 INTEREST RATE/ANNUAL RATE OF INTEREST / ब्याज दर/वार्षिक ब्याज दर:

- a. Interest Rate means the rate of interest in relation to the Loan as mentioned in Schedule I, Sanction Letter and KFS.
- b. Interest is based on factors like cost of borrowed funds or default risk provided by the Borrower and any other information as may be required for the purpose of credit evaluation.
- a. ब्याज दर का अर्थ वह दर है जो ऋण से संबंधित है और जिसका उल्लेख अनुसूची-I, स्वीकृति पत्र तथा मुख्य तथ्य विवरण में किया गया है।
- b. ब्याज का निर्धारण ऐसे कारकों पर आधारित होता है जैसे उधार लिए गए धन की लागत, ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिफॉल्ट जोखिम, तथा ऋण मूल्यांकन के उद्देश्य से आवश्यक अन्य जानकारी।

#### 5.1.4 OPTIONAL TERM FEE/ वैकल्पिक अवधि शुल्क:

- a. It is an additional contingent fee charged to the Borrower based on the repayment term availed by the Borrower.
- b. An Optional Term Fee may be levied by the Lender in the event the Borrower opts to continue the Loan beyond the Grace Period. Any changes to the Tenure shall be reflected in the final KFS provided to the Borrower. For the avoidance of doubt, such Optional Term Fee shall not be construed as a restructuring fee.
- a. यह एक अतिरिक्त आकस्मिक शुल्क है जो ऋणकर्ता द्वारा चुनी गई पुनर्भुगतान अवधि के आधार पर वसूल किया जाता है।
- b. यदि ऋणकर्ता ग्रेस अवधि के बाद ऋण जारी रखने का विकल्प चुनता है, तो ऋणदाता वैकल्पिक अवधि शुल्क लगा सकता है। ऋण अवधि में किसी भी परिवर्तन को अंतिम मुख्य तथ्य विवरण

में दिखाया जाएगा। स्पष्टता के लिए, इस वैकल्पिक अवधि शुल्क को पुनर्गठन शुल्क नहीं माना जाएगा।

#### 5.1.5 **OUTSTANDING DUES / बकाया देय राशि:**

- a. Outstanding Dues means, at any point of time, all the amounts outstanding and payable or obligations to be performed by the Borrower to the Lender, pursuant to the terms of this Agreement and/or any other Loan Documents, including but not limited to the following:
  - i. the principal amount(s) of the Loan;
  - ii. the interest due on the Loan;
  - iii. any fees, costs, charges, expenses and all other amounts due and payable by the Borrower to Lender; and
  - iv. any and all expenses or sum incurred by the Lender for the enforcement of and collection of any amounts due under this Agreement and/or any other Loan Documents, including expenses of enforcement and realization.
- a. बकाया देय राशि का अर्थ है किसी भी समय ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को इस समझौते और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेजों के अनुसार भुगतान योग्य सभी राशि और पूरी की जाने वाली दायित्व, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
  - i. ऋण की मूलधन राशि;
  - ii. ऋण पर देय ब्याज;
  - iii. कोई भी शुल्क, लागत, प्रभार, व्यय और ऋणकर्ता द्वारा ऋणदाता को भुगतान योग्य सभी अन्य राशि; और
  - iv. इस समझौते और/या किसी अन्य ऋण दस्तावेज के तहत देय राशि के प्रवर्तन और वसूली के लिए ऋणदाता द्वारा किए गए सभी व्यय या राशि, जिसमें प्रवर्तन और वसूली के खर्च शामिल हैं।

#### 5.1.6 **PENAL CHARGE / दण्डात्मक शुल्क :**

- a. In the Event of Default on the part of the Borrower in making payment of the Outstanding Dues on the Due Date, the Borrower shall pay to the Lender the Penal Charges as mentioned in Schedule I. Such Penal Charges are cumulative in nature and shall be payable on and from the date of default in repayment to and including the date on which such delay/default is rectified. The Lender's right to claim such Penal Charges shall be without prejudice to the Lender's right to take any other action available to it under the terms of this Agreement or at law in respect of such event of default.
- b. On the occurrence of an Event of Default, the Borrower shall, without prejudice to the rights and remedies available to the Lender, be liable to pay Penal Charges on the outstanding Loan Amount from the date of such Event of Default until the Event of

Default is duly cured.

- c. Any charges accruing under this Clause shall be immediately payable by the Borrower to the Lender and shall constitute the Outstanding Dues till the payment thereof.
- d. The levy of Penal Charges under this Clause shall not prevent the Lender from declaring an Event of Default and shall not prejudice the exercise of any rights and remedies available to the Lender upon the occurrence of an Event of Default.
- e. It is clarified that the quantum of Penal Charges reflects the incurred costs and essential resources utilized in facilitating the collection procedures in the Event of Default in repayment by the Borrower. Penal Charges herein include, but are not limited to, expenses related to, collection team staff, office space allocation, communication expenditures, and postage for distributing hard copy letters and notices. The Borrower acknowledges and agrees that as per the rationale explained, the Penal Charges are reasonable and represents the genuine pre-estimates of the loss incurred by the Lender in the event of non-payment by the Borrower.
- f. Further, the Borrower confirms that the Loan provided under this Agreement is for personal purposes and the Borrower hereby waives any defense available under usury or other Applicable Laws relating to the levy of Penal Charges.
- g. It is hereby clarified that Penal Charges are not penal interest. Further, there shall be no capitalisation of Penal Charges i.e., no further interest computed on such charges
- a. यदि ऋणकर्ता द्वारा देय तिथि पर बकाया देय राशि का भुगतान न किया जाए, तो ऋणकर्ता को ऋणदाता को अनुसूची-1 में उल्लिखित दण्डात्मक शुल्क का भुगतान करना होगा। यह दण्डात्मक शुल्क संचयी प्रकृति का होगा और भुगतान की विलंब/डिफॉल्ट की तिथि से प्रारंभ होकर उस तिथि तक देय होगा जिस दिन यह विलंब/डिफॉल्ट सुधारा जाता है। ऐसे दण्डात्मक शुल्क का दावा करने का ऋणदाता का अधिकार, ऋणदाता के किसी अन्य कार्रवाई करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता जो इस समझौते की शर्तों या कानून के तहत डिफॉल्ट की स्थिति में उपलब्ध है।
- b. डिफॉल्ट की स्थिति उत्पन्न होने पर, ऋणकर्ता को, ऋणदाता के उपलब्ध अधिकारों और उपायों को प्रभावित किए बिना, बकाया ऋण राशि पर दण्डात्मक शुल्क देना होगा, यह दण्डात्मक शुल्क उस डिफॉल्ट की तिथि से लेकर तब तक लागू होगा जब तक डिफॉल्ट को सही तरीके से ठीक नहीं किया जाता।
- c. इस क्लॉज़ के तहत लगने वाले किसी शुल्क का भुगतान तत्काल ऋणदाता के पक्ष में तत्काल किया जाएगा और इसकी गणना में भुगतान की तिथि तक की राशि सम्मिलित की जाएगी।
- d. इस क्लॉज़ के तहत दंडात्मक शुल्क लगाने पर ऋणदाता को चूक की घटना घोषित करने से रोका नहीं जा सकता और चूक की घटना घटित होने पर ऋणदाता के किसी भी अधिकार और उपाय पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- e. यह स्पष्ट किया जाता है कि दंडात्मक शुल्क की मात्रा किए गए उस खर्च को और

प्रयोग में आए उन संसाधनों को दर्शाता है जो कि ऋणकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान न करने की अवस्था में ऋणदाता द्वारा उगाही प्रक्रिया में उपयोग में लाए गए हैं। दंडात्मक शुल्क में संग्रहण टीम के कर्मचारियों, कार्यालय के लिए स्थान आवंटन, संचार व्यय, पत्र और नोटिस की हार्ड कॉपी भेजने का डाकव्यय सम्मिलित होते हैं, पर ये खर्चे इतने तक ही सीमित नहीं होते। ऋणकर्ता इस बात को स्वीकार करता है और इस बात से सहमत है कि बताए गए कारणों के आधार पर दंडात्मक शुल्क उचित है और समय से भुगतान न करने के कारण ऋणदाता को हुए वास्तविक नुकसान के आकलन के पूर्वानुमान के आधार पर दंडात्मक शुल्क उचित है।

- f. ऋणकर्ता इस बात की सहमति देता है कि इस समझौते के तहत लिया गया यह ऋण उसके व्यक्तिगत उपयोग के लिए है और इसलिए ऋणकर्ता सूदखोरी या दंडात्मक कानून लगाने से बचाव के लिए किसी भी कानून अपने बचाव को नहीं अपनाएगा।
- g. यह स्पष्ट किया जाता है कि दण्डात्मक शुल्क, दण्डात्मक ब्याज नहीं हैं। साथ ही, दण्डात्मक शुल्कों का पूंजीकरण नहीं किया जाएगा, अर्थात् ऐसे शुल्कों पर किसी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज आरोपित नहीं किया जाएगा।

#### 5.1.7 PROCESSING FEE / प्रोसेसिंग शुल्क:

- a. Processing Fee refers to one-time non-refundable fee charged to the Borrower at the time of disbursement, as per Schedule I, Sanction Letter, and KFS.
  - b. Processing Fee is levied to cover administrative and operational costs incurred in connection with the processing, sanction, and disbursement of the Loan. This fee is applicable at the time of Loan disbursement to ensure seamless transaction, execution and continued service efficiency.
  - c. It is hereby clarified that the Processing Fee will be charged irrespective of whether the Borrower, during the Cooling Off period or Grace Period, decides to continue with or discontinue the Loan.
- a. प्रोसेसिंग शुल्क वह एक बार लिया जाने वाला गैर-वापसी योग्य शुल्क है जो ऋण वितरण के समय अनुसूची-1, स्वीकृति पत्र और मुख्य तथ्य विवरण के अनुसार ऋणकर्ता से वसूल किया जाता है।
  - b. यह शुल्क ऋण के प्रक्रमण, स्वीकृति और वितरण से संबंधित प्रशासनिक और परिचालन लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। यह शुल्क ऋण वितरण के समय लागू होता है ताकि लेन-देन, निष्पादन और सतत सेवा की दक्षता सुनिश्चित की जा सके।
  - c. यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रोसेसिंग शुल्क तब भी लिया जाएगा चाहे ऋणकर्ता क्लिंग-ऑफ अवधि या ग्रेस अवधि के दौरान ऋण जारी रखने या बंद करने का निर्णय क्यों न करे।

#### 5.1.8 SMS CHARGE / एसएमएस शुल्क:

- a. SMS Charge means the monthly contingent fee payable by the Borrower for subscribing to the SMS notification service which includes without limitation, alerts

for deposits, payment reminders, repayment notifications, and updates for transfer of money to external account ("SMS Service").

- b. This charge applies solely when the Borrower opts in for this service and may be discontinued by the Borrower at any time.
- a. एसएमएस शुल्क वह मासिक आकस्मिक शुल्क है जो ऋणकर्ता द्वारा एसएमएस सूचना सेवा की सदस्यता लेने के लिए दिया जाता है, जिसमें जमा की जानकारी, भुगतान अनुस्मारक, पुनर्भुगतान सूचनाएँ और बाहरी खाते में धन हस्तांतरण की अपडेट जैसी सेवाएँ शामिल हैं।
- b. यह शुल्क केवल तब लागू होता है जब ऋणकर्ता इस सेवा के लिए विकल्प चुनता है और इसे ऋणकर्ता किसी भी समय बंद कर सकता है।

## 5.2 PAYMENT METHOD / भुगतान की विधि :

- 5.2.1 The Borrower shall pay the Outstanding Dues on the Due Date as mentioned in the Schedule I or within the Grace Period or Cooling off/Look Up Period, whichever event is applicable. Borrower understands that its obligations under this Agreement shall be valid and binding, until the repayment of the Outstanding Dues, to the satisfaction of the Lender. Repayments made by the Borrower shall not result in restoration or replenishment of the Loan Amount.
- 5.2.2 The Borrower can repay the Outstanding Dues of the Loan, including the principal amount, the proportionate APR, and, if applicable, the Grace Repayment Fee, using Debit Card/ Net-banking/Unified Payments Interface (UPI) during the Cooling-off Period or the Grace Period.
- 5.2.3 In case of death or insolvency of the Borrower, as applicable, the Outstanding Dues along with Interest, default interest and the Charges will be recovered from his/her/its legal heir/s, legal representative/s, executor/s, administrator/s).
- 5.2.4 The Borrower agrees that the payment of all the amount due to Lender under this Agreement can always be enforced against the Borrower's estate and assets and this Agreement shall be binding upon heirs, executors, legal representatives, and administrators of the Borrowers.
- 5.2.5 Any dispute or difference of any nature whatsoever shall not entitle the Borrower to withhold or delay payment of any EMIs or other sum.
- 5.2.1 ऋणकर्ता को देय तिथि पर, जैसा कि अनुसूची-I में उल्लिखित है, या ग्रेस अवधि या कूलिंग-ऑफ/लुक-अप अवधि के भीतर, जो भी लागू हो, बकाया देय राशि का भुगतान करना होगा। ऋणकर्ता समझता है कि इस समझौते के तहत उसकी दायित्वें तब तक मान्य और बाध्यकारी रहेंगी जब तक बकाया देय राशि का भुगतान ऋणदाता की संतुष्टि के अनुसार नहीं हो जाता। ऋणकर्ता द्वारा किए गए पुनर्भुगतान से ऋण राशि का पुनर्स्थापन या पुनःपूर्ति नहीं होगी।
- 5.2.2 ऋणकर्ता कूलिंग-ऑफ अवधि या ग्रेस अवधि के दौरान डेबिट कार्ड / नेट-बैंकिंग / यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से ऋण की बकाया देय राशि का भुगतान कर सकता है, जिसमें मूलधन राशि, अनुपातित वार्षिक प्रतिशत दर और, यदि लागू हो, ग्रेस पुनर्भुगतान शुल्क शामिल हैं।

- 5.2.3 ऋणकर्ता की मृत्यु या दिवालियापन की स्थिति में, बकाया देय राशि सहित ब्याज, डिफॉल्ट ब्याज और अन्य शुल्क उसके/उसकी/उसकी कानूनी उत्तराधिकारी, कानूनी प्रतिनिधि, निष्पादक या प्रशासक से वसूली जाएगी।
- 5.2.4 ऋणकर्ता सहमति देता है कि इस समझौते के तहत ऋणदाता को देय सभी राशि का भुगतान ऋणकर्ता की संपत्ति और परिसंपत्तियों के खिलाफ हमेशा प्रवर्तित किया जा सकता है और यह समझौता ऋणकर्ता के उत्तराधिकारी, निष्पादक, कानूनी प्रतिनिधि और प्रशासकों पर बाध्यकारी होगा।
- 5.2.5 किसी भी प्रकार का विवाद या असहमति ऋणकर्ता को किसी भी ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देती।

## 6. BORROWER REPRESENTATIONS & WARRANTIES & COVENANT/ ऋणकर्ता निरूपण तथा आश्वासन एवं प्रतिज्ञापत्र

6.1 Borrower hereby represents, warrants and acknowledges:

- it is a citizen and a person resident in India and will continue to remain so during the Tenure of this loan;
- all information furnished in respect of the Loan is correct and the Borrower is a major, of sound mind and competent to enter into the contract;
- the Borrower has adequate legal capacity to accept this and perform its obligations under this agreement;
- to furnish all information of its finances and business as is required by the Lender;
- it is not a party to any litigation and to the best of its knowledge, no act(s) or omission(s) has been committed that may give rise to any litigation;
- that all repayments shall be in compliance with all applicable laws.
- upon execution by the Borrower, this Agreement will constitute a valid, enforceable and legally binding obligation of the Borrower;
- there is no law, regulation, decree or act and no provision of any existing contract, agreement or instrument to which Borrower is a party that would be contravened by this Agreement or by the performance or observance of any of its terms;
- all information furnished by or on behalf of the Borrower in connection with obtaining the Loan, whether prior to the date hereof or contemporaneously with the execution of this Agreement and all information furnished hereinafter, is and will be true, correct and complete in all material respects as on the date on which such information is provided or certified.

6.2 The Borrower hereby expressly covenant as follows:

- The Loan shall be governed by the terms herein contained as well as those embodied in the other Loan Documents and the Borrower hereby undertakes to comply with and adhere to all terms thereof and the provisions of the Applicable Laws;
- ensure timely payment of the Outstanding Dues;
- The Borrower shall utilize the Loan only for legitimate purposes and no portion of the Loan shall be used for any illegal and/or antisocial and/or speculative purpose including but not limited to participation in stock markets/ IPOs and/or purchase/investment in capital market and/or gambling and/or money laundering;
- Promptly notify the Lender through a written notice to its concerned address or via the

- Digital Lending Application (DLA), of any change in the Borrower's postal address and/or mobile number or any other personal details provided in the application or this Agreement;
- e. The Borrower shall not dispute and/or hold the Lender responsible for (1) non-availability or non-accessibility of the Lender's website (i.e. <https://fincfriends.com/>), electronic payment gateway, telephone(s), or office(s) of the Lender for reasons beyond the Lender's control; or (2) any typographical error or inaccuracy on the Lender's website or any written, e-mail & SMS communication;

6.1 ऋणकर्ता एतद् द्वारा निरूपित करता है, आश्वासन देता है और स्वीकार करता है:

- a. वह भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है और ऋण की अवधि तक भारत में ही रहेगा।
- b. ऋण के संदर्भ में दी गई सारी सूचनाएं सही हैं और ऋणकर्ता वयस्क, दिमागी रूप से स्वस्थ एवं अनुबन्ध करने के लिए सक्षम है ;
- c. ऋणकर्ता इस समझौते को स्वीकार करने और उससे सम्बन्धित दायित्वों को पूरा करने की पूरी कानूनी क्षमता रखता है;
- d. ऋणदाता द्वारा अपेक्षित अपने वित्त एवं व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रस्तुत करना;
- e. वह किसी भी मुकदमें में वादी या प्रतिवादी नहीं है और अपनी जानकारी में उसने ऐसा कोई भी कार्य या चूक नहीं की है जो किसी मुकदमें का कारण बने;
- f. सभी पुनर्भुगतान लागू कानूनों का अनुपालन करते हुए होगा।
- g. ऋणकर्ता द्वारा निष्पादित करने के बाद यह समझौता ऋणकर्ता का वैध, लागू करने योग्य और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बन जाएगा;
- h. ऐसा कोई कानून, नियम, आदेश या अधिनियम नहीं है और न ही ऐसे किसी वर्तमान अनुबन्ध, समझौता या साधन का प्रावधान है जिसका वादी ऋणकर्ता हो या इसके किसी भी शर्त के निष्पादन या पालन से इस समझौते का उल्लंघन हो।
- i. ऋण प्राप्ति के लिए ऋणकर्ता या उसकी ओर से प्रस्तुत की गई सारी सूचनाएं, चाहे वे इस तिथि के पहले की हों या इस समझौते के कार्यान्वयन के दिन की हो, जिन्हें किसी तिथि भी को प्रदान किया जाता है या प्रमाणित किया जाता है वे सभी सूचनाएं हर मामले में सत्य, सही और पूरी हैं और होंगी।

6.2 ऋणकर्ता एतद् द्वारा स्पष्ट रूप से निम्न अनुबन्ध करता है:

- a. ऋण यहां दी गई शर्तों एवं ऋण के अन्य दस्तावेजों की शर्तों से शासित होगा और ऋणकर्ता इसके सभी नियमों एवं लागू होने वाले कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन का वचन देता है।
- b. बकाया देय राशि के समय पर भुगतान को आश्वस्त करता है;
- c. ऋणकर्ता ऋण का उपयोग मात्र न्यायसंगत उद्देश्य के लिए करेगा और ऋण के किसी भी भाग का उपयोग अवैध और/ असामाजिक उद्देश्य/ या सट्टा लगाने के लिए नहीं करेगा जिसमें शेयर बाजार/ आईपीओ/ पूंजी में निवेश और/ या जूआ और /या मनी लॉन्ड्रिंग शामिल है पर यह इतने तक ही सीमित नहीं है।
- d. ऋणकर्ता के पते, मोबाइल नम्बर या आवेदन या समझौते में दिए गए किसी भी व्यक्तिगत विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना ऋणदाता को लिखित रूप में उसके सम्बन्धित पते पर और /या डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन (डीएलए) के माध्यम से तत्काल दी जाएगी।
- e. इनके लिए ऋणकर्ता विवाद नहीं करेगा और या ऋणदाता को इनके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा (1) ऋणदाता की वेबसाइट की गैर उपलब्धता या उसे एक्सेस न कर पाने पर (जो कि

<https://fincfriends.com/>), ऋणदाता के नियंत्रण से बाहर के इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट गेटवे, टेलीफोन और उसके कार्यालय के लिए या (2) ऋणदाता की वेबसाइट या किसी लिखित पत्र या ई-मेल या एसएमएस जैसे संचार माध्यमों में मुद्रण सम्बन्धी कोई त्रुटि होने पर।

## 7. EVENTS OF DEFAULT/ इवेंट ऑफ डिफाल्ट

7.1 The following acts/events, shall each constitute an “Event of Default” by the Borrower for the purposes of Loan:

- a. The Borrower fails to make payment of any Outstanding Dues on Due Date;
- b. Breach of any terms, covenants, representation, warranty, declaration or confirmation under the Loan Documents;
- c. Any fraud or forgery or misrepresentation or concealment of material information by Borrower which could have affected decision of Lender to grant any Loan facility;
- d. The Borrower is or becomes a party to any litigation, arbitration, administrative or other action, investigation by any governmental entity, claim, suit or proceedings which would have a material adverse effect on the terms of this Agreement;
- e. Death, lunacy or any other permanent disability of the Borrower;
- f. Borrower utilizes the Loan Amount for any illegal purpose or for any purposes which is prejudicial to the interest of the public;
- g. Occurrence of any events, conditions or circumstances (including any change in law) which in the sole and absolute opinion of Lender could have a material adverse effect, including initiation of any proceedings or action for bankruptcy/liquidation/ insolvency of the Borrower.

7.2 The decision of the Lender as to whether or not an Event of Default has occurred shall be final and binding upon the Borrower.

7.1 प्रत्येक ऋण के संदर्भ में निम्न में से प्रत्येक कार्य/ घटना ऋणकर्ता का इवेंट ऑफ डिफाल्ट कहा जाएगा:

- a. ऋणकर्ता निर्धारित तिथि को किसी भी देय का भुगतान करने में असफल रहता है;
- b. ऋण दस्तावेजों में दिए गए किसी भी शर्त, नियम, निरूपण, आश्वासन, घोषणा या सहमति का उल्लंघन;
- c. ऋणकर्ता द्वारा की गई कोई भी धोखाधड़ी, जालसाजी, या गलत बयानी या उसके द्वारा किसी भी जानकारी को छिपाना जो ऋणदाता द्वारा किसी भी ऋण सुविधा देने के निर्णय को प्रभावित करे;
- d. ऋणकर्ता यदि किसी कानूनी झगड़े, मध्यस्थता, प्रशासनिक या अन्य किसी कार्यवाही, किसी भी सरकारी इकाई द्वारा जांच, दावे, मुकदमें या कार्यवाही में एक पक्ष है या बनता है जिनका इस समझौते की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।;
- e. ऋणकर्ता की मृत्यु या उसका पागलपन या उसकी स्थाई विकलांगता;
- f. ऋणकर्ता ऋण का उपयोग किसी अवैध कार्य के लिए करता है या किसी ऐसे उद्देश्य के लिए करता है जो प्रजा के हित में नहीं है।
- g. कोई भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी बदलाव के साथ), जिसके तहत किसी भी कार्यवाही की सीमा बन जाए या ऋणकर्ता के दिवालियापन/ परिसमापन/ ऋणशोधन की अक्षमता सम्बन्धी बातें शामिल हो जाएं और जिनके घटित होने के प्रति ऋणदाता की राय एकमात्र और निरपेक्ष हो कि ये उसके विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में सक्षम हैं।

- 7.2 डिफाल्ट घटित हुआ है कि नहीं इस संदर्भ में ऋणदाता की राय अनन्तिम होगी और ऋणकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी।

## 8. CONSEQUENCES OF DEFAULT/ डिफाल्ट के परिणाम

- 8.1 Upon occurrence of any of the Events of Default and at any time thereafter, Lender shall have the right, but not the obligation to declare all sums outstanding in respect of the Loan Amount whether due or not, immediately repayable and upon the Borrower failing to make the said payments within thereof, Lender may at its sole discretion exercise any other right or remedy which may be available to Lender under any applicable law, including seeking any injunctive relief or attachment against the Borrower or their assets. The Lender can also enforce any other remedy which may be available under law during the pendency of the Loan. Notwithstanding the aforesaid, in the event of the Borrower failing to make the payment of the Outstanding Dues within 90 (ninety) days from the Due Date, Lender shall, inter alia, have the right to classify the same as a non-performing asset (NPA) and report it accordingly to the credit bureaus.
- 8.2 The Borrower shall also be liable for payment of all legal and other costs and expenses resulting from the foregoing defaults or the exercise of Lender remedies.
- 8.3 Notwithstanding any other rights available to the Lender under this Agreement, the Lender shall be entitled to initiate criminal proceeding or any other appropriate actions against the Borrower if at any time the Lender at its sole discretion has sufficient grounds to believe that the Borrower has made any misrepresentations and/or submitted any forged documents or fabricated data to the Lender.
- 8.1 डिफाल्ट की किसी घटना के घटित होने या उसके बाद किसी भी समय ऋणदाता को बिना किसी बाध्यता के यह अधिकार रहेगा कि वह ऋण से संबद्ध बकाया ऋण सुविधा को उद्घाटित कर सकता है चाहे उसका पुनर्भुगतान तुरन्त किया जाना हो या नहीं और उस अवस्था में जब कि ऋणकर्ता उपरिलिखित राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तब ऋणदाता को अपने विवेक का उपयोग करते हुए कानूनन उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार के प्रयोग की अनुमति है एवं इसमें किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई या उसके सम्पत्ति की कुर्की कर सकता है। ऋणदाता ऋण के लंबित रहने की अवस्था में बिना किसी प्रतिबन्ध के जो भी उपाय कानूनन उपलब्ध हो उन्हें कार्य में ला सकता है। इसके बाद भी यदि ऋणकर्ता नियत तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में ऋणदाता को अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात का अधिकार होगा कि वह बकाया राशि को नॉन परफार्मिंग एसेट (एनपीए) में रूप में वर्गीकृत कर दे और फलस्वरूप क्रेडिट ब्यूरो को इस बारे में सूचित कर दे।
- 8.2 ऋणकर्ता सभी कानूनी तथा अन्य लागत और खर्चों के लिए भी उत्तरदायी होगा जो पूर्ववर्ती डिफाल्ट या ऋणदाता द्वारा समस्या के निदान के लिए अपनाए गए उपाय के कारण हुए हैं।
- 8.3 यदि ऋणदाता को किसी भी समय अपने विवेक के आधार पर लगता है कि ऋणकर्ता ने कोई गलतबयानी की है और / या जाली दस्तावेज या मनगढ़ंत डाटा प्रस्तुत किया है तो इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य अधिकार के बावजूद भी उसे यह अधिकार होगा कि वह आपराधिक कार्यवाही या ऋणकर्ता के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर सके।

## 9. DISCLOSURES/ डिस्क्लोज़र

- 9.1 The Borrower acknowledges and authorizes the Lender to disclose all information and data relating

to Borrower, the Loan/Sanctioned Loan Amount facility, default if any, committed by Borrower to such third parties/agencies as Lender may deem appropriate and necessary to disclose and/or as authorized by RBI, including but not limited to Credit Information Bureaus. The Borrower also acknowledges and authorizes such information to be used, processed by Lender / third parties/ Credit Information Bureaus/RBI as they may deem fit and in accordance with applicable laws. Further, in Event of Default, Lender and such agencies shall have an unqualified right to disclose or publish the name of the Borrower /or its directors/ partners/co-applicants, as applicable, as 'defaulters' in such manner and through such medium as Lender / Credit Information Bureaus / RBI/ other authorized agency in their absolute discretion may think fit, including in newspapers, magazines and social media.

- 9.2 The Borrower acknowledges that the Lender shall require his/her true and complete, personal, demographic, family related, business, credit and financial information/ data (hereinafter "Customer Data"). The Lender shall take reasonable efforts to keep such Customer Data confidential, and any use, sharing, processing or disclosure thereof shall be governed by the terms of this Agreement and the Privacy Policy. The Borrower shall not hold Lender responsible for sharing and/or disclosing the Customer Data now or in future as per the adopted and implemented Privacy Policy (available on official website of DLA and Lender) and also for any consequences suffered by the Borrower and/or other by reason thereof. The Borrower hereby authorises the Lender that they may use/ share the Customer Data for the purposes mentioned in the Privacy Policy of the Lender from time to time without seeking prior consent of the Borrower. The provisions of this clause shall survive termination of the Agreement and the repayment of the Outstanding Dues.
- 9.3 The Lender shall notify the Borrower of any change in the terms and conditions through email or SMS. The changes in interest rate and other charges shall come into effect prospectively. The Borrower shall keep himself/herself abreast with all such notifications and hereby irrevocably agree and confirm that he/she would be bound by such changes, without any dispute.
- 9.1 ऋणकर्ता स्वीकार करता है और अधिकृत करता है कि ऋणदाता उससे सम्बन्धित सूचना और डाटा, ऋण की सुविधा, यदि कोई चूक हुई है तो, जिनके सामने वह इस प्रकटन को आवश्यक समझता हो उन तीसरी पार्टी/एजेंसियों के सम्मुख उसका प्रकटन कर सकता है और/या जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिकृत किया गया है साथ ही इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक यह सीमित नहीं है। ऋणकर्ता इसे भी स्वीकृत और अधिकृत करता है कि ऋणदाता तीसरी पार्टी/क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो/आरबीआई जैसा उचित समझें और प्रचलित कानून के अनुसार इस सूचना का प्रयोग कर सकते हैं और इसे संसाधित सकते हैं। इसके अतिरिक्त डिफॉल्ट की स्थिति में ऋणदाता और इसी प्रकार की एजेंसियों को यह अप्रतिबन्धित अधिकार है कि ऋणदाता एवं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो/आरबीआई जैसी अन्य अधिकृत एजेंसियां अपने विवेक के अधार पर उचित माध्यम से ऋणकर्ता या उसके निदेशकों/साझेदारों/सहआवेदकों के नाम को 'डिफॉल्टर' के रूप में यथायोग्य तरीके से समाचारपत्र पत्रिका और सोशल मीडिया के माध्यम से घोषित या प्रकाशित कर सकते हैं।
- 9.2 ऋणकर्ता यह स्वीकार करता है कि ऋणदाता को उसकी सच्ची और पूर्ण व्यक्तिगत, जन सांख्यिकीय, पारिवारिक, व्यावसायिक, क्रेडिट और वित्तीय जानकारी/डेटा की आवश्यकता होगी। ऋणकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रयास करेगा कि ऐसे ग्राहक जानकारी/डेटा को गोपनीय रखा जाए, तथा उसका उपयोग, साझेदारी, प्रसंस्करण या प्रकटीकरण इस समझौते तथा गोपनीयता नीति के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाएगा। ऋणकर्ता ऋणदाता को अब या भविष्य में अपनाई गई और लागू की गई गोपनीयता नीति के अनुसार इस ग्राहक डेटा को साझा करने और/या प्रकटीकरण करने

के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराएगा, और न ही इस कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए, चाहे वह ऋणकर्ता या अन्य किसी के लिए हो। ऋणकर्ता यहाँ ऋणदाता को अधिकार देता है कि वे गोपनीयता नीति में निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए समय-समय पर ग्राहक डेटा का उपयोग/साझा कर सकते हैं, बिना ऋणकर्ता की पूर्व सहमति प्राप्त किए। इस धारा के प्रावधान समझौते की समाप्ति और बकाया देय राशि के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।

- 9.3 ऋणदाता को चाहिए कि वह सभी नियमों और शर्तों में किसी भी प्रकार के बदलाव की सूचना ऋणकर्ता को ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से दे। ब्याज दर और अन्य कोई भी परिवर्तन भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होंगे। ऋणकर्ता को चाहिए कि वह ऐसे किसी भी परिवर्तन से अवगत रहे और एदत् द्वारा वह अटल रूप से सहमति दे और पुष्टि करे कि बिना किसी विवाद के वह इन परिवर्तनों से बाध्य रहेगा।

## 10. RECOVERY AGENTS/ वसूली एजेंट

The Borrower hereby agrees that the Lender is entitled to appoint recovery agents for the purpose of recovering Outstanding Dues and that the Borrower hereby confirms to support the Lender and its recovery agents to collect the Outstanding Dues as per the Agreement. The Borrower expressly authorizes/consent to Lender and its various service providers for collections and recovery to contact the Borrower telephonically even if the name of the Borrower appears in the Do Not Call Register to inform the Borrower about dues under the Loan granted under this Agreement. The details of the recovery agent are provided in the KFS attached in Schedule I.

ऋणकर्ता सहमति व्यक्त करता है कि ऋणदाता को अधिकार है कि वह बकाया राशि की वसूली के लिए वसूली एजेंट की नियुक्ति करे और इस समझौते के अनुसार ऋणकर्ता बकाया राशि की वसूली के लिए ऋणदाता और उसके वसूली एजेंट को सहयोग देने की पुष्टि करता है। ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से ऋणदाता को अधिकृत करता है/ सहमति देता है कि विभिन्न सेवा प्रदाता संग्रह और वसूली हेतु उससे इस समझौते के तहत स्वीकृत ऋण के देय के बारे में सूचित करने के लिए टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। वसूली एजेंट का विवरण शेड्यूल 1 में संलग्न केएफएस में दिया गया है।

## 11. INDEMNITY/ इन्डेमिनिटी

The Borrower shall indemnify and keep the Lender and its directors, officers, employees, agents, attorneys or any other person affiliated with or representing the Lender harmless against (i) all obligations, demands, claims and liabilities asserted by any other party in connection with the transactions contemplated by the Loan documents; (ii) all costs, losses, and/ or damages due to any act or default on the part of the Borrower in respect of the Loan and/or for the recovery of the Outstanding Dues on account of failure of the Borrower of any of the terms and conditions mentioned herein and/or for any action undertaken by the Lender in good faith based on the representations of the Borrower.

ऋणदाता, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों या उससे संबद्ध व्यक्तियों या नुमाइंदों को होने वाले किसी भी नुकसान का हरजाना ऋणकर्ता द्वारा दिया जाएगा एवं वह उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा। (i) ऋण-दस्तावेजों के अनुसार अपेक्षित लेन-देन से संबद्ध सभी दायित्व, मांग, दावा और जिम्मेदारियां जिनका प्रस्तुतिकरण किसी अन्य पार्टी द्वारा किया गया हो; (ii) सभी व्यय, घाटा, और/या हानि जो कि ऋणकर्ता के किसी कृत्य अथवा ऋण अदायगी में हुए डिफॉल्ट के कारण और/या यहां लिखे हुए नियम और शर्तों के पालन में हुई चूक द्वारा उत्पन्न बकाया राशि की वसूली और/या ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवेदन के अनुसार ऋणदाता द्वारा नेकनियती में लिया गया कोई भी कदम।

**12. MISCELLANEOUS/ मिसलेनियस**

- 12.1 The entries made in records of the Lender shall be conclusive evidence of existence and of the amount Outstanding Dues and any statement of dues furnished by Lender shall be accepted by and be binding on the Borrower unless the Borrower notifies the Lender in writing of any discrepancies within 7 (seven) days of receipt of such statement by contacting the Lender's customer support. If no such communication is received within the stipulated period, the statement shall be treated as accepted by the Borrower.
- 12.2 The Borrower hereby states that the Borrower has read and understood this Agreement and the Loan Documents and has signed the said Loan Documents at his/ her free will.
- 12.3 The Borrower hereby consents to the Lender or its Authorized Agents and third party service providers to use information/data provided by the Borrower to contact him through any channel of communication including but not limited to email, telephone, SMS, etc., and further authorize the disclosure of the information contained herein to its affiliates/group companies or their Authorized Agents or Third Party Service Providers in order to provide information and updates to the Borrower on various financial and investment products and offering.
- 12.4 Borrower shall execute all documents and amendments and shall co-operate with Lender as required by Lender (i) to comply with any RBI guidelines / directives or (ii) for giving Lender full benefit of rights under the Loan Documents. Without prejudice to the aforesaid, the Borrower hereby irrevocably consents that on its failure to do so, such changes shall be deemed to be incorporated in the Loan Documents and shall be binding on the Borrower.
- 12.5 Notwithstanding any suspension or termination of any facility, all right and remedies of Lender as per Loan Documents shall continue to survive until the receipt by Lender of the Outstanding Dues in full.
- 12.6 The Parties hereto confirm and acknowledge that this Agreement, and the Annexure(s) herein, constitute the entire agreement between them and shall supersede and override all previous communications, either oral or written, between the parties with respect to the subject matter of this Agreement, and no agreement or understanding varying or extending the same shall be binding upon any Party hereto unless arising out of the specific- provisions of this Agreement;
- 12.7 The Borrower acknowledges that the Interest Rate, Penal Charges and other charges payable and or agreed to be paid by the Borrower under Loan Documents are reasonable and acceptable to him/ her.
- 12.8 The Borrower expressly recognizes and accepts that Lender shall, without prejudice to its rights to perform such activities itself or through its office employees, be entitled and has full power and authority so to appoint one or more third parties (hereinafter referred to as "Lending Service Providers") as Lender may select and to delegate to such party all or any of its functions, rights and power under Loan Documents relating to the sourcing, identity and verification of information pertaining to the Borrower administration, monitoring of the Loan/ Facility and to perform and execute all lawful acts, deeds, matters and things connected therewith and incidental thereto including sending notices, contacting Borrower, receiving Cash / Cheques/ Drafts / Mandates from the Borrower in favor of Lender;
- 12.9 The Borrower hereby authorizes Lender to verify all information and documents including, income proof documents, residence documents, address proof documents, identity documents and other such documents containing personal and financial information as are submitted by them for obtaining any Loan/ Facility and that they also consent to subsequent retention of the same by Lender.

- 12.10 The Borrower acknowledges and authorizes Lender to procure Borrower's PAN No./copy of PAN Card, other identity proof and Bank Account details, from time to time and to also generate / obtain Credit Reports from Credit Information Bureaus and such other reports as and when Lender may deem fit. The Borrower also hereby gives consent and authorizes Lender to undertake its KYC verification by Aadhar e-KYC or otherwise and undertake all such actions as may be required on its behalf or otherwise to duly complete the process of such verification including by way of Aadhar e-KYC and share such information with any authority and store such information in a manner it deems fit.
- 12.11 The Borrower acknowledges that the Lender may conduct a regular credit quality assessment of the Borrower as per the internal policies to evaluate his/her financial performance and repayment capacity. The Lender shall also have the right to review the Borrower's credit behavior with other financial institutions or lenders at any time. Based on this assessment, the Lender reserves the right to reduce the sanctioned loan limit or terminate the loan facility if the Borrower's financial condition is found to be unsatisfactory.
- 12.12 In the event of any disagreement or dispute between Lender and the Borrower regarding the materiality of any matter including of any event occurrence, circumstance, change, fact information, document, authorization, proceeding, act, omission, claims, breach, default or otherwise, the opinion of Lender as to the materiality of any of the foregoing shall be final and binding on the Borrower.
- 12.1 ऋणदाता के रिकॉर्ड में किए गए प्रविष्टियाँ बकाया देय राशि की मौजूदगी और राशि का निर्णायक प्रमाण होंगी और ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी देय राशि का विवरण ऋणकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा और उस पर बाध्यकारी होगा, जब तक कि ऋणकर्ता ऐसी किसी भी असंगति के बारे में ऋणदाता को इस विवरण की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर लिखित में सूचित न करें, ऋणदाता के ग्राहक सहायता से संपर्क करके। यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो उस विवरण को ऋणकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा।
- 12.2 ऋणकर्ता एतद् द्वारा घोषित करता है कि उसने इस समझौते और ऋण दस्तावेज को पढ़ा है और समझ गया है और इस ऋण दस्तावेज पर उसने स्वेच्छा से हस्ताक्षर किया है।
- 12.3 ऋणकर्ता एतद् द्वारा ऋणदाता या उसके अधिकृत एजेंटों और तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं को अनुमति देता है कि वे उसके द्वारा दी गई जानकारी डाटा का उपयोग करके किसी भी संचार माध्यम से उससे सम्पर्क कर सकते हैं। पर ये माध्यम ई-मेल, टेलीफोन, एसएमएस इत्यादि तक सीमित नहीं होंगे तथा उसे अधिकृत करता है कि इसके साथ साथ वह सूचना देने के उद्देश्य से यहां उपलब्ध सूचनाओं का प्रकटन अपने से संबद्ध लोगों/ समूह कम्पनियों या अपने अधिकृत एजेंटों या तीसरी पार्टी के सर्विस प्रोवाइडर के सम्मुख कर सकता है और वह ऋणकर्ता को विभिन्न वित्तीय एवं निवेश सम्बन्धी उत्पादों और उससे संबद्ध प्रस्तावों की अद्यतन जानकारी देगा।
- 12.4 ऋणकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों का पालन करेगा और ऋणदाता की आवश्यकता के अनुसार उससे सहयोग करेगा (1) आरबीआई के किसी भी दिशानिर्देश/ सुझाव का पालन करना (2) ऋण दस्तावेजों में दिए गए अधिकारों का पूरा लाभ ऋणदाता को देना। उसके प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के ऋणकर्ता एतद् द्वारा अटल रूप से सहमति देता है कि ऐसा करने में विफल रहने पर इन परिवर्तनों को ऋणदस्तावेजों में सम्मिलित कर लिया जाएगा और ऋणकर्ता के लिए वे बाध्यकारी होंगे।

- 12.5 किसी भी सुविधा के निलम्बन या समाप्ति के बाद भी ऋण दस्तावेज में वर्णित ऋणकर्ता के सभी अधिकार और उपाय तब तक बने रहेंगे जब तक उसे पूरी बकाया राशि प्राप्त नहीं हो जाती।
- 12.6 दोनों पक्ष एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं और स्वीकार करते हैं कि समझौता और उसके संलग्नक उनके बीच हुए समझौते को पूरा करते हैं और वे दोनों पक्षों के बीच समझौते की विषय वस्तु से संबद्ध पहले के सभी मौखिक या लिखित संसूचनाओं को स्थानापन्न और निरस्त करते हैं। साथ ही समझौता या सहमति में कोई भी बदलाव या उसका विस्तार किसी भी पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि वे इस समझौते के विशिष्ट प्रावधानों से उद्भूत न हों।
- 12.7 ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि ब्याजदर, दंडात्मक शुल्क और अन्य कोई भी देय शुल्क या ऐसा कोई शुल्क जो ऋण दस्तावेज के तहत है और जिसे अदा करने के लिए ऋणकर्ता सहमत है, ये सभी उसके लिए उचित और बाध्यकारी हैं।
- 12.8 ऋणकर्ता स्पष्ट रूप से मानता और स्वीकार करता है कि ऋणदाता को बिना किसी पूर्वाग्रह के यह अधिकार है कि वह स्वयं या अपने कर्मचारियों द्वारा एक, या एक से अधिक किसी तीसरे पक्ष (इसके बाद इन्हें 'लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर' के रूप में जाना जाएगा) की नियुक्ति कर सकता है जैसा कि ऋणदाता ऐसी पार्टियों को चुन सकता है और इस तरह की गतिविधियों के संचालन के अपने अधिकारों को ऐसी किसी चयनित पार्टी को सम्पूर्ण या आंशिक रूप से अपने कार्य, अधिकार और शक्तियां सौंप सकता है जिनका ऋण दस्तावेजों के अनुसार सम्बन्ध सोर्सिंग, पहचान एवं ऋणकर्ता के प्रबन्धन से सरोकार रखने वाली सूचना के सत्यापन, ऋण सुविधा का नियंत्रण एवं सभी कानूनी अधिनियमों के संपादन और क्रियान्वयन से हैं, बैनामा, मामला और हाल जिनका सम्बन्ध सूचना भेजे जाने से हैं, ऋणकर्ता से सम्पर्क करने से, ऋणदाता के पक्ष में ऋणकर्ता द्वारा प्रेषित नगद/ चेक/ ड्राफ्ट/ आदेश पत्र प्राप्त करने से जुड़ा हुआ है एवं आनुषांगिक है।
- 12.9 ऋणकर्ता एतद् द्वारा ऋण दाता को अधिकृत करता है कि वह ऋणकर्ता के आय प्रमाण, निवास प्रमाण, पता प्रमाण, पहचान प्रमाण से संबद्ध दस्तावेजों तथा उसके व्यक्तिगत एवं वित्तीय सूचना से संबद्ध दस्तावेजों की जांच कर सकता है, जिन्हें उसने ऋण/सुविधा प्राप्त करने के लिए जमा किया था और इस बात का भी अधिकार देता है कि वह आने वाले समय के लिए भी उनका प्रतिधारण कर सकता है।
- 12.10 ऋणकर्ता सहमति देता है और ऋणदाता को अधिकृत करता है कि जब भी ऋणदाता को उचित लगे वह ऋणकर्ता का पैन नम्बर/ पैन कार्ड की प्रतिलिपि, पहचान का अन्य प्रमाण और बैंक खाता का विवरण समय समय पर हासिल कर सकता है तथा क्रेडिट इन्फार्मेशन ब्यूरो से क्रेडिट रिपोर्ट तथा इसी प्रकार की अन्य रिपोर्ट भी तैयार करा सकता है/ प्राप्त कर सकता है। ऋणकर्ता एतद् द्वारा सहमति देता है और अधिकृत करता है कि ऋणदाता आधार से केवाईसी या अन्य किसी माध्यम से केवाईसी का सत्यापन करा सकता है। आवश्यकता के अनुसार आधार ई-केवाईसी सहित अन्य किसी भी सत्यापन प्रक्रिया को स्वयं पूरा करने या अन्य किसी प्रकार पूरा कराने का दायित्व ले सकता है और ऐसी जानकारी को वह किसी भी अधिकृत व्यक्ति के साथ साझा कर सकता है और जैसा उचित हो उस तरीके से जानकारी को संरक्षित कर सकता है।
- 12.11 ऋणकर्ता यह स्वीकार करता है कि ऋणदाता अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार ऋणकर्ता के वित्तीय प्रदर्शन और पुनर्भुगतान क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए नियमित क्रेडिट गुणवत्ता मूल्यांकन कर सकता है। ऋणदाता को किसी भी समय अन्य वित्तीय संस्थानों या ऋणदाताओं के

साथ ऋणकर्ता के ऋण व्यवहार की समीक्षा करने का अधिकार होगा। इस आकलन के आधार पर, यदि ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक पाई जाती है, तो ऋणदाता को स्वीकृत ऋण सीमा को कम करने या ऋण सुविधा को समाप्त करने का अधिकार होगा।

- 12.12 ऋणदाता और ऋणकर्ता के बीच किसी भी मुद्दे, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य की सूचना, दस्तावेज, अधिकार, कार्यवाही, कार्य, भूल, दावा, मनमुटाव, ऋण अदायगी की चूक या अन्य किसी सम्बन्ध में असहमति या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर उपरोक्त सभी मुद्दों पर ऋणदाता की राय अनन्तिम होगी और ऋणकर्ता के लिए बाध्यकारी होगी।

### 13. ELECTRONIC FORM – COMMUNICATION IN ELECTRONIC FORM/ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म- इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में संचार

- 13.1 Borrower acknowledges and agrees that any request, notice, correspondence or any other writing whatsoever (“Writing”) required or contemplated under this Agreement may be executed and any delivery, offer, acceptance or any other action whatsoever (“Action”) in respect of this Agreement may be undertaken in electronic form by way of communication through Digital Lending Application (DLA) or any other electronic means of executing or authenticating transactions (“Electronic Form”) as may be enabled by Lender. For avoidance of doubt, it is clarified that communications in Electronic Form include any Writing or Action undertaken on any technology platform, Digital Lending Application (DLA), or website provided by the Lender.
- 13.2 Borrower hereby further confirms that any Writing or Action made or undertaken by Borrower in Electronic Form shall be valid, binding and legally enforceable against them and it shall not raise any objection or claim or disclaim any liability under or in relation to the validity or enforceability of a Writing or Action solely on account of it being in Electronic Form.
- 13.3 The Borrower has entered into this Agreement and has electronically or otherwise signed this Agreement out of the Borrower’s own free consent and no undue influence or coercion has been exercised upon the Borrower to do so.
- 13.4 In case the Borrower intends to receive any Loan Document in a language other than English, they shall inform the Lender by writing at [chat@vivamoney.in](mailto:chat@vivamoney.in) .
- 13.1 ऋणकर्ता स्वीकार करता है और सहमत है कि इस समझौते के तहत किसी भी आवेदन, नोटिस, पत्राचार, या अन्य किसी भी तरह का लेखन (‘राइटिंग’) चाहे उसकी जरूरत हो या आने वाले समय में अपेक्षित हो, उसका और अन्य किसी डिलिवरी का निष्पादन, प्रस्ताव, स्वीकृति या अन्य कोई भी कार्यवाही जो कि इस समझौते के तहत आती हो, उसका निष्पादन करा लिया जाएगा और इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक रूप में डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन (डीएलए) के तहत अथवा ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या नियमानुकूल प्रमाणित करने वाले लेन देन (‘इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म’) जैसे माध्यमों द्वारा कराया जाएगा। किसी भी प्रकार के संशय को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा किए जाने वाले संचार में ऋणदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी प्लेटफॉर्म, डिजिटल लेंडिंग एप्लिकेशन (डीएलए) या वेबसाइट के माध्यम से किया गया कोई भी लेखन या उपयोग में आई कार्यवाही सम्मिलित हैं।
- 13.2 ऋणकर्ता इस बात की पुष्टि करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसके द्वारा किया गया या दायित्व लिया गया कोई भी लेखन या कार्य उनके विरुद्ध मान्य और बाध्यकारी होगा और उसके विरुद्ध कानूनी रूप से लागू किया

जा सकेगा। उनके इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने मात्र से ऋणकर्ता न कोई आपत्ति करेगा या न तो लेखन या कार्य की वैधता या प्रवर्तनीयता के संदर्भ में न तो अधियाचना करेगा और न ही अस्वीकृति देगा।

13.3 ऋणकर्ता ने इस समझौते को स्वीकार किया है और अपनी सहमति से इस पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्यथा इस पर हस्ताक्षर किया है और ऐसा करने के लिए उस पर कोई अनुचित प्रभाव या दबाव नहीं डाला गया है।

13.4 यदि ऋणकर्ता को कोई भी ऋण सम्बन्धी दस्तावेज अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा में चाहिए तो उसे ऋणदाता को लिखित रूप में [chat@vivamoney.in](mailto:chat@vivamoney.in) पर सूचित करना होगा।

#### 14. SEVERABILITY/ सेवरेबिलिटी

The Borrower acknowledges that each of his / her obligations under these Loan Documents is independent and severable from the rest.

ऋणकर्ता स्वीकार करता है कि उसके ऋण दस्तावेजों का हर इकरारनामा स्वतंत्र है और दूसरों से भिन्न है।

#### 15. GRIEVANCE REDRESSAL MECHANISM/ शिकायत निवारण तंत्र

##### 15.1 Grievance Submission:

In the event of any grievances or complaints arising out of or in connection with this Loan Agreement, the Borrower may submit a written complaint to the Nodal Grievance Redressal Officer (GRO). The complaint may be submitted via email, postal mail, or through the Lender's designated online portal.

##### 15.2 Resolution Process:

The Lender shall investigate the grievance and endeavor to resolve it within 5 (five) business days from the date of complaint raised. The GRO may contact the Borrower for additional information or clarification, if required.

##### 15.3 Communication of Resolution:

Upon resolution of the grievance, the Lender shall communicate the decision to the Borrower in writing.

##### 15.4 Escalation:

###### Level 1: Grievance Redressal Officer Contact Details:

If the Borrower is not satisfied with the resolution provided, they may escalate the matter to the Lender's Grievance Redressal Officer, details of which are provided below, or as on website of the Lender.

The Borrower may contact the Grievance Redressal Officer at the following details:

Name: Mr. Ram Prasad Aryal  
Address: 7th Floor, Vatika Triangle, Mehrauli-Gurgaon Road, Block B,  
Sushant Lok Phase I, Gurugram, Haryana, 122002  
Contact Number: +91-1244466513  
Email address: [GRO@fincfriends.in](mailto:GRO@fincfriends.in)

**Level 2: Ombudsman or CEPC as applicable**

If the complaint/ dispute is not redressed within a period of one month, the Borrower may further escalate the complaint to the Officer-in-Charge of the Regional Office at the following address:

The Officer-in-Charge Department of Supervision  
Reserve Bank of India, 10/3/8, Nrupathunga Road,  
Bengaluru-560001 Karnataka, India

**15.1 शिकायत दर्ज:**

इस ऋण समझौते के बारे में या उससे उत्पन्न किसी परिवेदना या शिकायत होने की स्थिति में ऋणकर्ता नोडल शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) से लिखित शिकायत कर सकता है। वह ई-मेल, डाक या ऋणदाता के नामित पोर्टल के जरिए भी शिकायत कर सकता है।

**15.2 समाधान प्रक्रिया:**

ऋणदाता मामले की जांच करेगा और 5 (पांच) कार्यकारी दिनों के भीतर शिकायत के समाधान का प्रयास करेगा। जीआरओ अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर ऋणकर्ता से सम्पर्क कर सकता है।

**15.3 संकल्प की सूचना:**

शिकायत का समाधान होने पर ऋणदाता इसकी सूचना ऋणकर्ता को लिखित रूप में देगा।

**15.4 शिकायत वृद्धि:****स्तर 1: शिकायत निवारण अधिकारी के संपर्क विवरण:**

यदि ऋणकर्ता द्वारा की गई शिकायत का समाधान संतोषजनक न हो, तो ऋणकर्ता इसे ऋणदाता के शिकायत निवारण अधिकारी को अग्रेषित कर सकता/सकती है, जिसके संपर्क विवरण नीचे दिए गए हैं या ऋणदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

**नाम:** श्री राम प्रसाद आर्यल

**पता:** 7वीं मंजिल, वाटिका ट्रायंगल, महरौली-

गुडगांव रोड, ब्लॉक बी, सुशांत लोक फेज़-1,

गुरुग्राम, हरियाणा, 122002

**संपर्क सूत्र:** +91-1244466513

**ई-मेल पता:** [GRO@fincfriends.in](mailto:GRO@fincfriends.in)

**स्तर 2: ओम्बड्समैन अथवा CEPC, जहाँ लागू हो।**

यदि शिकायत/विवाद का निवारण एक (1) माह की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता अपनी शिकायत को निम्न पते पर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी को अग्रेषित कर सकता/सकती है:

प्रभारी अधिकारी, वितरीक्षण विभाग  
भारतीय रिज़र्व बैंक, 10/3/8, नृपथुंगा रोड,  
बैंगलुरु – 560001, कर्नाटक, भारत

## 16. NOTICES/ नोटिस

Any notice under this Agreement must be in writing and shall be deemed to be received (a) on delivery, when delivered personally, and when sent from/ to the registered email id unless 'delivery failure notification' is received by the sender; (b) on the 3<sup>rd</sup> (third) day post-dispatch, when sent by registered post at the registered/ current address, postage prepaid. For the Lender, registered email id is [info@fincfriends.in](mailto:info@fincfriends.in) and Registered Office address is at Vatika Triangle, 7<sup>th</sup> Floor, Mehrauli Gurgaon Road, Sushant Lok I, Block B, Gurugram, Haryana - 122002 and addressed to Customer Service team at given address.

इस समझौते से संबद्ध किसी भी नोटिस का लिखित रूप में होना अवश्यक है और माना जाता है कि उसे प्राप्त किया जाएगा (a) डिलीवरी जब व्यक्तिगत रूप से की गई हो और जब उसे किसी पंजीकृत ई-मेल आईडी द्वारा/ पर भेजा गया हो सिवाय जब तक प्रेषण करने वाले को डिलीवरी के विफल हो जाने की सूचना प्राप्त न हो जाए; (b) भेजे जाने के बाद तीसरे दिन जब उसे रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पंजीकृत वर्तमान पते पर प्री पेड पोस्टेज द्वारा भेजा जाए। ऋणदाता के लिए पंजीकृत ई-मेल आईडी [info@fincfriends.in](mailto:info@fincfriends.in) और ऑफिस का पता सातवीं मंजिल, ए वाटिका ट्रैंगल, महारौली गुडगांव रोड, ब्लॉक बी, सुशान्त लोक फेज़ 1 गुरुग्राम - 122002 और उसका सम्बोधन वहां पर उपलब्ध ग्राहक सेवा टीम को किया गया हो।

## 17. ARBITRATION/ मध्यस्थता

In the unlikely event of any dispute or difference arising between the Parties hereto as to the rights and obligations under this Agreement or as to any claim, monetary or otherwise of one Party against the other or as to the interpretation and effect of any terms and conditions of this Agreement such dispute or difference shall be settled amicably at first level. In the event such dispute or claim cannot be settled by the Parties within thirty (30) days after written notification by one Party of the existence of such dispute or claim, then such dispute shall be referred to Arbitration of a common Arbitrator if agreed upon, otherwise to two or more Arbitrators, one to be appointed by each of the Parties to this Agreement and such Arbitrator shall be governed by the provisions of Arbitration and Conciliation Act, 1996 as at present in force and as may be amended from time to time. The seat for such Arbitration shall be in India at Bengaluru. The language to be used in the arbitral proceedings shall be English. The award rendered by the arbitrators shall be final and binding upon both Parties and may be executed through any court of competent jurisdiction forthwith. Each Party shall bear its own expenses and attorneys' fees in connection with the arbitration.

इस समझौते के तहत अधिकारों एवं दायित्वों को ले कर किसी असम्भाव्य स्थिति में दोनों पार्टियों के बीच विवाद या मतभेद होने पर या किसी एक पार्टी का दूसरी पार्टी के विरुद्ध धन सम्बन्धी या अन्यथा कोई दावा होने पर या इस समझौते के किन्हीं नियम और शर्तों की व्याख्या और प्रभाव के कारण कोई विवाद हो तो ऐसे विवाद अथवा मतभेद पहले चरण में ही परस्पर सौहार्द्र पूर्ण ढंग से सुलझा लिए जाएंगे। दोनों पार्टियों के बीच किसी विवाद या दावा होने की स्थिति में जब कि किसी एक पार्टी द्वारा लिखित अधिसूचना दिए जाने के 30 दिनों के उपरान्त भी यदि उस दावे या मतभेद का निस्तारण नहीं किया जा सका हो तब ऐसी स्थिति में उस मतभेद को मध्यस्थता के लिए किसी ऐसे मध्यस्थ के पास भेजा जाना चाहिए जिसका चयन दोनों पार्टियों की सहमति से किया गया हो और ऐसा न होने की स्थिति में दो या उससे अधिक मध्यस्थों के पास भेजा जाना चाहिए जिसमें इस समझौते से सम्बद्ध प्रत्येक पार्टी

द्वारा कम से कम एक मध्यस्थ का चुनाव किया गया हो और ऐसी मध्यस्थता का संचालन प्रोविशंस ऑफ आर्बिट्रेशन ऐण्ड कंसिलिएशन ऐक्ट, 1996 के अनुसार किया जाएगा एवं समयानुसार इसका संशोधन किया जा सकता है। ऐसी किसी मध्यस्थता का स्थान भारत में बेंगलूरु शहर होगा। इस मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थों द्वारा दिए गए निर्णय दोनों पक्षों के लिए अनन्तिम और बाध्यकारी होंगे और इनका अनुपालन किसी भी सम्बद्ध अधिकार वाली सक्षम अदालत से करा लिया जाएगा। प्रत्येक पार्टी द्वारा मध्यस्थता से संबद्ध अपना व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क का वहन स्वयं किया जाएगा।

## 18. ASSIGNMENT/ कार्यभार

The Borrower shall not be permitted to assign any of its rights and obligations under this Agreement. The Lender shall however be entitled and have the right to assign its rights and obligations under this Agreement. Notwithstanding any such assignment or transfer, the Borrower shall, unless otherwise notified by the Lender, continue to make all payments under the Loan Documents to the Lender and all such payments when made to the Lender shall constitute a full discharge to the Borrower from all its liabilities in respect of such payments.

इस समझौते के तहत ऋणकर्ता को यह अधिकार नहीं रहेगा कि वह अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य को सौंप दे, जबकि ऋणदाता को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने अधिकारों और दायित्वों को किसी अन्य को सौंप सके। ऐसे किसी हस्तांतरण अथवा नियुक्ति होने के उपरान्त भी ऋणकर्ता इस दस्तावेज के तहत आने वाले सभी भुगतानों का निष्पादन तब तक करता रहेगा जब तक ऋणदाता उसको ऐसा न करने के लिए अधिसूचित नहीं कर देता और ऐसी स्थिति में जब तक ऋणदाता को किए गए सभी भुगतान ऋणकर्ता की ऋण अदायगी से संबद्ध सभी जिम्मेदारियों का सम्पूर्ण निर्वहन न हो जाए।

## 19. WAIVER/ अधित्याग

The Parties agree that any delay or omission by the Lender in exercising any of its rights under this Agreement shall not be construed as waiver. The Lender has the sole discretion to waive any fee/ interest/charges in relation to the Loan.

दोनों पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौते के तहत ऋणदाता द्वारा प्राप्त अपने किसी अधिकार का प्रयोग करने में देरी या चूक को छूट के रूप में नहीं लिया जाएगा। ऋणदाता को इस बात का पूरा अधिकार है कि वह अपने विवेक के आधार पर शुल्क/ व्याज/ ऋण से सम्बद्ध किसी भी प्रभार में छूट दे।

## 20. AMENDMENT/ संशोधन

Subject to applicable laws, Lender shall have the sole discretion to amend any terms of this Agreement, Schedule I, which shall be prospectively binding on the Borrower.

प्रयोज्य कानूनों के तहत ऋणदाता को यह अधिकार रहेगा कि वह अपने विवेक के अनुसार इस समझौते के शेड्यूल 1 की शर्तों में संशोधन कर सकता है एवं ऋणकर्ता पर यह संशोधन उत्तरव्यापी प्रभाव से बाध्यकारी होगा।

## 21. GOVERNING LAW/ शासी कानून

This Agreement shall be governed in accordance with Indian laws, and the Parties shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts in India. The Lender in addition shall have the right to file a criminal complaint/FIR against the Borrower and/ or resort to other rights available under law, in case of any fraud, misrepresentation and/ or breach of this Agreement.

यह समझौता भारतीय कानून के तहत संचालित होगा और दोनों पक्ष भारत की अदालतों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे। इसके अतिरिक्त ऋणदाता ऋणकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत/ एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत होगा और/ या किसी भी धोखाधड़ी, गलतबयानी या इस समझौते के उल्लंघन की स्थिति में वह कानूनन अन्य अधिकारों को अपनाने के लिए भी अधिकृत होगा।

## 22. LOAN AGREEMENT TERM, TERMINATION AND RENEWAL / ऋण समझौते की अवधि, समाप्ति और नवीनीकरण

22.1 This Loan Agreement shall remain valid and in full force for the period set forth below, whichever occurs earlier("Term"):

- a. **If the Loan Amount is disbursed:** In the event of disbursement, this Loan Agreement shall remain in full force and effect for the Tenure opted by the Borrower, commencing from the date of execution of the Loan Agreement by the Borrower, or
- b. **If the Loan Amount is not disbursed:** In the event that the Loan is not disbursed, this Loan Agreement shall remain valid for a period of 60 (sixty) days from the date of execution of the Loan Agreement by the Borrower.

22.2 **Termination by Borrower:** The Borrower may request closure of the Loan Account at any time during the Term by contacting the Lender's customer support, subject to payment of all Outstanding Dues, if any.

22.1 यह ऋण समझौता नीचे निर्दिष्ट अवधि तक मान्य और पूरी तरह प्रभावी रहेगा, जो भी पहले हो ("अवधि"):

- a. **यदि ऋण राशि वितरित की जाती है:** वितरित होने की स्थिति में, यह ऋण समझौता उस अवधि तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा जो ऋणकर्ता द्वारा चुनी गई हो, और यह अवधि ऋणकर्ता द्वारा समझौते के निष्पादन की तिथि से प्रारंभ होगी, या
- b. **यदि ऋण राशि वितरित नहीं की जाती है:** यदि ऋण वितरित नहीं किया जाता, तो यह ऋण समझौता ऋणकर्ता द्वारा निष्पादन की तिथि से 60 (साठ) दिनों तक मान्य रहेगा।

22.2 **ऋणकर्ता द्वारा समाप्ति:** ऋणकर्ता इस अवधि के दौरान किसी भी समय ऋण खाता बंद करने का अनुरोध कर सकता है, इसके लिए ऋणदाता की ग्राहक सेवा से संपर्क करना होगा, बशर्ते कि सभी बकाया देय राशि का भुगतान किया गया हो।

The Parties have executed this Agreement on the day, and year as mentioned in Schedule I.

दोनों पार्टियों ने शेड्यूल 1 में वर्णित वर्ष एवं तिथि को समझौते का कार्यान्वयन किया है।

SIGNED SEALED AND DELIVERED by the within named Borrower and Lender/ नामित ऋणकर्ता और ऋणदाता द्वारा हस्ताक्षरित मुहरबंद और वितरित

<b>Borrower/ ऋणकर्ता</b>	<b>Lender/ ऋणदाता</b>
Loan Agreement Time Stamp/ ऋण समझौते के समय की मुहर {dd.mm.yyyy HH:MM}	Loan Agreement Time Stamp/ ऋण समझौते के समय की मुहर {dd.mm.yyyy HH:MM}
Loan Agreement Customer IP/ ऋण समझौते के कस्टमर की आईपी {}	
Date of Acceptance/ स्वीकृति की तिथि: {dd.mm.yyyy}	Date of Acceptance/ स्वीकृति की तिथि: {dd.mm.yyyy}

Digitally Signed by: **FincFriends Private Limited**

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित: फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Date/ तिथि:

**Schedule I / शेड्यूल I**

Loan Agreement Date/ ऋण समझौते की तिथि	
<b>Borrower Details/ ऋणकर्ता का विवरण</b>	
Name/नाम	
Address/पता	
Permanent Account Number (PAN) परमानेंट अकाउंट नम्बर (पैन)	
Email ID/ईमेल आईडी	
Phone number/ फोन नम्बर	
<b>Loan Details/ ऋण का विवरण</b>	
Loan Agreement Number (LAN)/ लोन अकाउंट नम्बर (एलएएन)	
Sanctioned Loan Amount (in INR)/ स्वीकृत ऋण की सीमा (रुपए में)	
Annual Rate of Interest (in %)/ वार्षिक ब्याज की दर (% में)	
Processing Fee* (in % or INR) / प्रोसेसिंग शुल्क (% या रुपए में)	4.5% of withdrawn amount or INR 600 (rupees six hundred) whichever is higher. निकाली गई राशि का 4.5%, या भारतीय रुपए में 600 (छह सौ रुपये), जो भी अधिक हो।
Cooling off/Look up Period कूलिंग ऑफ / लुक अप पीरियड	3 (three) consecutive calendar days from the date of execution of the Loan Agreement. ऋण समझौते के निष्पादन की तिथि से लगातार 3 (तीन) कैलेंडर दिन।
Grace Period/ ग्रेस पीरियड	Grace Period is up to 51 days ग्रेस अवधि अधिकतम 51 दिन तक होगी।

\* All charges are exclusive of GST/ सभी शुल्क जीएसटी रहित हैं।

<b>CONTINGENT CHARGES/ प्रासंगिक शुल्क</b>	
Penal Charges (in INR)/ दंडात्मक शुल्क (रुपए में)	1 - 9 days overdue/ 1 -9 दिन का अतिदेय – ₹{118} 10 – 29 days overdue/ 10 -29 दिन का अतिदेय – ₹{118} 30 – 59 days overdue/ 30 -59 दिन का अतिदेय – ₹{236} 60 days and above overdue/ 60 दिन या अधिक का अतिदेय – ₹{354} for every 30 days/ हर 30 दिन के लिए
SMS Charges* (in INR)/ एसएमएस शुल्क* (रुपए में)	₹82 per month / प्रति माह
Optional term fee* (in INR)/ वैकल्पिक टर्म शुल्क* (रुपए में)	5 months/ महीने – 0; 10 months/ महीने – ₹1179;

	20 months/ महीने – ₹1769
Grace Repayment Fee (in INR)/ ग्रेस रिपेमेंट शुल्क (रुपए में)	₹{grace_fee}
Early Repayment/Foreclosure Charges (in %)/ समय से पहले पुनर्भुगतान/ फोर क्लोजर शुल्क (% में)	4.72% of the principal debt/ मूल ऋण राशि का 4.72%

\* All charges are inclusive of GST/ सभी शुल्क जीएसटी रहित हैं

Borrower/ ऋणकर्ता	Lender/ ऋणदाता
Loan Agreement Time Stamp/ ऋण समझौते के समय की मुहर : {19.03.2025 HH:MM:SS}	Loan Agreement Time Stamp/ ऋण समझौते के समय की मुहर : {19.03.2025 HH:MM:SS}
Loan Agreement Customer IP/ ऋण समझौते के कस्टमर की आईपी : {152.59.61.86}	
Date of Acceptance/ स्वीकृति की तिथि: {17.03.2025}	Date of Acceptance/ स्वीकृति की तिथि: {17.03.2025}

Digitally Signed by: **FincFriends Private Limited**

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित: फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Date/तिथि: 19.03.2025

**Sanction Letter/ अनुमोदन पत्र**

To,

Date/ तिथि:

Mr./Ms.

Address/ पता:

**Sub:** Sanction Letter/ अनुमोदन पत्र

We refer to your Loan Application number \_\_\_\_\_. We are glad to inform you that your loan has been sanctioned, and the details thereof are as follows:

हम आपके ऋण आवेदन संख्या का उल्लेख करते हैं -----। हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके ऋण

का अनुमोदन हो गया है और उसका विवरण निम्न प्रकार है:

Borrower Details/ ऋणकर्ता का विवरण	
Name of Borrower/ ऋणकर्ता का नाम	
PAN/ पैन	
Email Id/ ईमेल आईडी	
Phone number/ फोन नम्बर	
Type of customer/ ग्राहक का प्रकार	

Loan Details/ ऋण का विवरण	
Application Number/ आवेदन संख्या	
Loan Agreement No./ ऋण खाता संख्या	
Sanctioned Loan Limit (in INR)/ ऋण की स्वीकृत सीमा (भारतीय रुपए में)	
Annual Rate of Interest (in %)/ वार्षिक व्याज दर (% में)	
Processing Fee* (in %)	4.5% of withdrawn amount, or INR 600 (rupees six hundred) whichever is higher
प्रोसेसिंग शुल्क *(% में)	निकाली गई राशि का 4.5%, या भारतीय रुपए में 600 (छह सौ रुपये), जो भी अधिक हो।
Cooling Off/ Look Up Period (in Days)/	3 (three) consecutive calendar days from the date of execution of the Loan Agreement
कूलिंग ऑफ / लुक अप पीरियड (दिनों में)	ऋण समझौते के निष्पादन की तिथि से लगातार 3 (तीन) कैलेंडर दिन।
Grace Period/	Grace Period is up to 51 days

ग्रेस पीरियड

ग्रेस अवधि अधिकतम 51 दिन तक होगी।

Note: \* All charges are exclusive of GST/ सभी शुल्क जीएसटी रहित हैं

Please note that the Sanctioned Loan amount is a Loan. This sanction is an in-principle conditional sanction subject to successful completion of verification of your KYC details and any other applicable checks as may be deemed necessary by the Company. The detailed terms and conditions are provided in the Loan Agreement. You are requested to read through them carefully before availing the Loan.

कृपया नोट करें कि यह अनुमोदित ऋण है। सैद्धान्तिक रूप से यह अनुमोदन सशर्त अनुमोदन है कारण यह आपके केवाईसी के विवरण के सत्यापन तथा कम्पनी को आवश्यक लगने वाले परीक्षण के बाद ही अनन्तिम होगा। विस्तृत नियम और शर्त समझौते में दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि ऋण सुविधा लेने के पहले इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें।

Thanking you/ धन्यवाद

Digitally Signed by: **FincFriends Private Limited**

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित: फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Fincfriends Private Limited/  
फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Date/तिथि:

**Key Fact Statement / मुख्य तथ्यों का विवरण**

Date/तिथि: XX/XX/XXXX

Name of the Regulated Entity/ विनियमित इकाई का नाम: Fincfriends Private Limited/ फिंकफ्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड

Applicant Name/आवेदक का नाम: {user\_name}

**Annex A/ संलग्नक A**
**Key Facts Statement/ मुख्य तथ्यों का विवरण**
**Part 1 (Interest rate and fees/charges) / पार्ट 1 (ब्याज दर शुल्क/प्रभार)**

1	Loan agreement No./ ऋण समझौता संख्या	{lan}	Type of Loan/ ऋण का प्रकार	Personal Loan/ व्यक्तिगत ऋण
2	Sanctioned Loan amount (in Rupees) / स्वीकृत ऋण राशि (रुपए में)		{loan_amount}	
3	Disbursal schedule (i) Disbursement in stages or 100% upfront. (ii) If it is stage wise, mention the clause of loan agreement having relevant details. / संवितरण का शेड्यूल (i) चरणों में या 100% अग्रिम संवितरण (ii) यदि यह चरणवार है तो समझौते के खंड का तत्सम्बन्धी विवरण के साथ उल्लेख करें		100% upfront 100% अग्रिम संवितरण	
4	Loan term (year/months/days) / ऋण की अवधि (वर्ष/माह/दिन)		20 months/ महीने	
5	Instalment details / किस्तों का विवरण			
	Type of instalments/ किस्तों का प्रकार	Number of EPIs/ ईपीआई की संख्या	EPI (₹)/ ईपीआई (₹)	Commencement of repayment, post sanction/ स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान का आरम्भ
	Monthly / मासिक	20	First month/ पहला महीना: {emi_first}, Other months /अन्य महीने: {emi_mid}, Last month/ अंतिम महीना: {emi_last}	{first_emi_date}
6	Interest rate (%) and type (fixed or floating or hybrid)/ ब्याज दर (%) और प्रकार (निश्चित या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)		Fixed- {}/ निश्चित - {}	
7	Additional Information in case of Floating rate of interest / फ्लोटिंग ब्याज दर के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी		Not Applicable/ लागू नहीं	
8	Fee/ Charges शुल्क/प्रभार			

		Payable to the RE (A) / आरई (ए) को देय		Payable to a third party through RE (B) / आरई (बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	
		One-time/ Recurring / एक बार/आवर्ती	Amount (in ₹) or Percentage (%) as applicable राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो	One-time/ Recurring / एक बार/आवर्ती	Amount (in ₹) or Percentage (%) as applicable/ राशि (₹ में) या प्रतिशत (%) जैसा लागू हो
(i)	Processing fees / प्रोसेसिंग शुल्क	One Time / एक बार	₹ {p_fee}	None कोई नहीं	None कोई नहीं
(ii)	Insurance charges / बीमा शुल्क	None कोई नहीं	None कोई नहीं	None कोई नहीं	None कोई नहीं
(iii)	Valuation fees / मूल्यांकन शुल्क	None कोई नहीं	None कोई नहीं	None कोई नहीं	None कोई नहीं
9	<b>Annual Percentage Rate (APR) (%) / वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)</b>		{apr}%		
10	<b>Details of Contingent Charges (in ₹ or %, as applicable) / प्रासंगिक शुल्क का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)</b>				
(i)	Penal charges, if any, in case of delayed payment /  यदि कोई विलम्बित भुगतान हो, तो उसके संदर्भ में दंडात्मक शुल्क			<b>1 - 9 days overdue/ 1-9 दिन का अतिदेय – ₹{118}</b> <b>10 – 29 days overdue/ 10-29 दिन का अतिदेय – ₹{118}</b> <b>30 – 59 days overdue/ 30-59 दिन का अतिदेय – ₹{236}</b> <b>60 days and above overdue/ 60 दिन या अधिक का अतिदेय – ₹{354} for every 30 days/ हर 30 दिन के लिए</b>	
(ii)	Other penal charges, if any / अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई है			None / कोई नहीं	
(iii)	Grace Repayment Fee / ग्रेसरिपेमेंट शुल्क			{grace_fee}	
(iv)	Foreclosure charges, if applicable /  फोरक्लोजर, यदि प्रयोज्य है			4.72% of the principal debt/मूल ऋण राशि का 4.72%	
(v)	Charges for switching of loans from floating to fixed rate and vice versa / ऋणों को फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट में बदलने और इसको विपरीत क्रम में करने के लिए शुल्क			None / कोई नहीं	
(vi)	SMS Charges (Optional) / एसएमएस शुल्क (वैकल्पिक)			₹82 per month / प्रति माह	
(vii)	Term Fee (Optional) /  टर्म शुल्क (वैकल्पिक)			5 months/ महीने – 0; 10 months/ महीने – ₹1179; 20 months/ महीने – ₹1769	

**Part 2 (Other qualitative information) / पार्ट 2 (अन्य गुणात्मक सूचना)**

1	Clause of Loan agreement relating to engagement of recovery agents / वसूली एजेंट की नियुक्ति से सम्बन्धित ऋण समझौते का क्लॉज़	<b>Clause 10 - Recovery Agents</b> <b>खंड 10- वसूली एजेंट</b>	
2	Clause of Loan agreement which details grievance redressal mechanism / ऋण समझौते का वह खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था दी गई है।	<b>Clause 15 - Grievance Redressal Mechanism</b> <b>खंड 15- शिकायत निवारण तंत्र</b>	
3	Phone number and email id of the nodal grievance redressal officer नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी	+91-1244466513 <a href="mailto:GRO@fincfriends.in">GRO@fincfriends.in</a>	
4	Whether the loan is, or in future maybe, subject to transfer to another REs or securitisation (Yes/ No) / क्या ऋण का अभी या भविष्य में किसी अन्य आरई को हस्तांतरण या उसका प्रतिभूतिकरण किया जा सकता है। (हां/नहीं)	No /  नहीं	
5	In case of lending under collaborative lending arrangements (e.g., co-lending/ outsourcing), following additional details may be furnished: / सहयोगी ऋण व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/ आउटसोर्सिंग) के तहत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:		
	Name of the originating RE, along with its funding proportion / मूल आरई का नाम, इसके वित्तपोषण अनुपात के साथ	Name of the partner RE along with its proportion of funding / भागीदार आरई का नाम, इसके वित्तपोषण अनुपात के साथ	Blended rate of interest / मिश्रित ब्याज दर
	None / कोई नहीं	None / कोई नहीं	None / कोई नहीं
6	In case of digital loans, following specific disclosures may be furnished: / डिजिटल ऋण के संदर्भ में निम्न खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं :		
	(i) Cooling off/look-up period, in terms of RE's board approved policy, during which borrower shall not be charged any penalty on prepayment of loan आरई बोर्ड द्वारा स्वीकृत शर्तों के अनुसार कूलिंग ऑफ/ लुक अप पीरियड की उस समय अवधि में जिसके दौरान ऋण के पूर्व भुगतान पर ऋणकर्ता से कोई शुल्क/जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	3 (three) consecutive calendar days from the date of execution of the Loan Agreement ऋण समझौते के निष्पादन की तिथि से लगातार 3 (तीन) कैलेंडर दिन।	
	(ii) Grace Period/ ग्रेस अवधि	Grace Period is up to 51 days. ग्रेस अवधि अधिकतम 51 दिन तक होगी।	

<p>(ii) Details of LSP acting as recovery agent and authorized to approach the borrower /</p> <p>वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और ऋणकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण</p>	<p>(i) Credgenics (Analog Legalhub Technology Solutions Pvt Ltd)          LG Floor, Smartworks, World Trade Tower, Sector - 16, Noida 201301/          क्रेडजेनिक्स (एनालॉग लीगलहब टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड), एलजी फ्लोर, स्मार्टवर्क्स, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर - 16, नोएडा 201301  <a href="mailto:sales@credgenics.com">sales@credgenics.com</a></p> <p>(ii) Vega Corporate Services Pvt Ltd          D-14, 1st floor, Lajpat Nagar Part 2, New Delhi 110024/          वेगा कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड          डी-14, पहली मंजिल, लाजपत नगर पार्ट 2, नई दिल्ली 110024  <a href="mailto:ravinder.shahbadi@vegacorporate.com">ravinder.shahbadi@vegacorporate.com</a></p> <p>(iii) Solveesy (EBC Bridge Private Limited)          3rd floor, C-18, LSC-1 C block market, Vasant Vihar, Delhi, India – 110057/          सोल्वेसी (ईबीसी ब्रिज प्राइवेट लिमिटेड)          तीसरी मंजिल, सी-18, एलएससी-1 सी ब्लॉक मार्केट, वसंत विहार, दिल्ली, भारत - 110057  <a href="mailto:operations@solveesy.in">operations@solveesy.in</a></p> <p>4) Fairdebt (FAIRDEBT Solutions Pvt Ltd)          27th Main Rd, 1st Sector, HSR Layout, Bengaluru, Karnataka 560102          फेयरडेब्ट (फेयरडेब्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड)          27वीं मेन रोड, प्रथम सेक्टर, एचएसआर लेआउट, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560102  <a href="mailto:sunny.kumardubey@fairdebt.in">sunny.kumardubey@fairdebt.in</a></p> <p>5) Collectius (Collectius CMS India Private Limited)          Dwaraka Icon Plot no, 131, Kavuri Hills Rd, CBI Colony,HITEC City, Hyderabad, Telangana 500033          कलेक्टियस (कलेक्टियस सीएमएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)          द्वारका आइकॉन, प्लॉट नंबर 131, कवुरी हिल्स रोड, सीबीआई कॉलोनी, हाईटेक सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना – 500033  <a href="mailto:hemanth.yhk@collectius.com">hemanth.yhk@collectius.com</a> &amp; <a href="mailto:india@collectius.in">india@collectius.in</a></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Annex B / संलग्नक B**
**Computation of APR for Retail (Digital) Loans / रिटेल ऋणों के लिए APR गणना**

Sr. No./ क्रमांक	Parameter / मापदण्ड	Details / विवरण
1	Sanctioned Loan amount (in Rupees) (SI no. 2 of the KFS template – Part 1) / स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 2 - भाग 1)	{loan_amount}
2	Loan Term (in years/ months/ days) (SI No.4 of the KFS template – Part 1) / ऋण अवधि (वर्षों/महीनों/दिनों में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 4 – भाग 1)	20 months / माह
a)	No. of instalments for payment of principal, in case of non equated periodic loans / नॉनइक्वेटेड पेरियाडिक ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या	-
b)	Type of EPI Amount of each EPI (in Rupees) and nos. of EPIs (SI No. 5 of the KFS template – Part 1) /  ईपीआई के प्रकार प्रत्येक ईपीआई की राशि (रुपये में) और ईपीआई की संख्या (केएएसएफ टेम्पलेट का क्रमांक 5- पार्ट 1)	Monthly/ मासिक; First month/ प्रथम माह:: {emi_first}, Other months/ अन्य माह: {emi_mid}, Last month/ अन्तिम माह: {emi_last}; {term} EMIs
c)	No. of instalments for payment of capitalised interest, if any / कैपिटलाइज्ड ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, यदि कोई है	-
d)	Commencement of repayments, post sanction (SI No. 5 of the KFS template – Part 1) / मंजूरी के बाद पुनर्भुगतान का प्रारम्भ (केएफएस का क्रमांक 5-पार्ट 1)	{first_emi_date}
3	Interest rate type (SI No. 6 of the KFS template – Part 1) / ब्याज दर का प्रकार (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 6- पार्ट 1)	Fixed / निश्चित
4	Rate of Interest (SI No. 6 of the KFS template – Part 1) / ब्याज दर (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 6 - भाग 1)	{interest_rate}
5	Total Interest Amount to be charged during the entire tenure of the loan as per the rate prevailing on sanction date (in Rupees) / ऋण की सम्पूर्ण अवधि के दौरान मंजूरी की तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार कुल ब्याज राशि की वसूली की जाएगी (रुपये में)	{interest_amt}
6	Fee/ Charges payable (in Rupees) / देय/ शुल्क प्रभार (रुपये में)	{p_fee}
A	Payable to the RE (SI No.8A of the KFS template-Part 1) / आरई को देय (केएफएस टेम्पलेट -पार्ट 1 का क्रमांक 8 ए)	{p_fee}
B	Payable to third-party routed through RE (SI No.8B of the KFS template – Part 1) / आरई के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय (केएफएस टेम्पलेट -पार्ट 1 का क्रमांक 8 बी)	0
7	Net disbursed amount (1-6) (in Rupees) / कुल संवितरित राशि( 1-6) (रुपये में)	{transfer_amount}
8	Total amount to be paid by the borrower (sum of 1,5 and 6) (in Rupees) / ऋणकर्ता द्वारा देय कुल राशि (1,5 और 6 का योग) (रुपये में)	{transfer_amount}+{p_fee}+ {interest_amount}

9	Annual Percentage rate- Effective annualized interest rate (in percentage) (SI No.9 of the KFS template-Part 1) / वार्षिक प्रतिशत दर-प्रभावी वार्षिक ब्याज दर( प्रतिशत में) (केएफएस टेम्प्लेट -पार्ट 1 का क्रमांक 9)	{apr}%
10	Schedule of disbursement as per terms and conditions / नियमों और शर्तों के अनुसार संवितरण का शेड्यूल	Disbursement of loan limit shall be as per the Borrower's request. ऋण संवितरण की सीमा ऋणकर्ता के अनुरोध पर आधारित होनी चाहिए।
11	Due date of payment of instalment and interest / किश्त और ब्याज के भुगतान के लिए नियत तिथि	As per repayment schedule attached / संलग्न पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार

### Annex C / संलग्नक सी

#### Repayment Schedule/ऋण पुनर्भुगतान अनुसूची (in Rs./ रुपये में)

Installment No./ किश्त संख्या	Payment Date/ भुगतान तिथि	Outstanding Principal / बकाया मूलधन	Principal / मूलधन	Interest / ब्याज	Processing Fee/ प्रोसेसिंग शुल्क	Installment / किश्त	SMS Charge, if opted in by the Borrower / एसएमएस शुल्क, यदि उधारकर्ता द्वारा विकल्प चुना गया हो	Term Fee, if opted in by the Borrower / अवधि शुल्क, यदि उधारकर्ता द्वारा चुना गया हो	Final Instalment (With optional charges) / अंतिम (वैकल्पिक शुल्क के साथ)
1	{30.09.2024}	{24,386}	{5614}	{1625}	{p_fee}	{7829}	0	0	{7829}
2	{31.10.2024}	{18,585}	{5801}	{813}		{6614}	0	0	{6614}
3	{30.11.2024}	{12,590}	{5995}	{619}		{6614}	0	0	{6614}
4	{31.12.2024}	{6396}	{6194}	{420}		{6614}	0	0	{6614}
5	{31.01.2025}	0	{6396}	{213}		{6609}	0	0	{6609}

#### Note:

- This Loan facility and disbursement is made when requested by the Borrower, subject to Sanctioned Loan Limit.

- The above charges are preliminary calculations based on 100% upfront disbursement of the Sanctioned Loan Limit, assuming today's transfer date, and a default loan Tenure of 20 (twenty) months. A new KFS shall be issued to the Borrower at the time of disbursement based upon the actual use of the available loan limit.
- All charges mentioned in this KFS are inclusive of GST.
- In the case the Borrower opts for SMS notification services, SMS charges of Rs. 82/- (Rupees Eighty-two only) per month shall be levied. This SMS notification service can be discontinued anytime during the Tenure of the loan.

**टिप्पणी:**

- यह ऋण सुविधा और वितरण ऋणकर्ता के अनुरोध पर, स्वीकृत ऋण सीमा के अधीन प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त शुल्क प्रारंभिक गणनाएँ हैं, जो स्वीकृत ऋण सीमा के 100% अग्रिम वितरण, आज की ट्रांसफर तिथि को मानते हुए, और डिफॉल्ट ऋण अवधि 20 (बीस) महीने के आधार पर की गई हैं। वास्तविक उपलब्ध ऋण सीमा के उपयोग के आधार पर वितरण के समय ऋणकर्ता को नया मुख्य तथ्य विवरण जारी किया जाएगा।
- इस केएफएस में उल्लिखित सभी शुल्कों में जीएसटी शामिल है।
- यदि ऋणकर्ता एसएमएस अधिसूचना सेवाओं का विकल्प चुनता है, तो एसएमएस शुल्क रु. 82/- (केवल बयासी रुपये) प्रति माह लिया जाएगा। इस एसएमएस अधिसूचना को सेवा ऋण की अवधि के दौरान कभी भी बन्द किया जा सकता है।